मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 7 | मार्च 2026 |

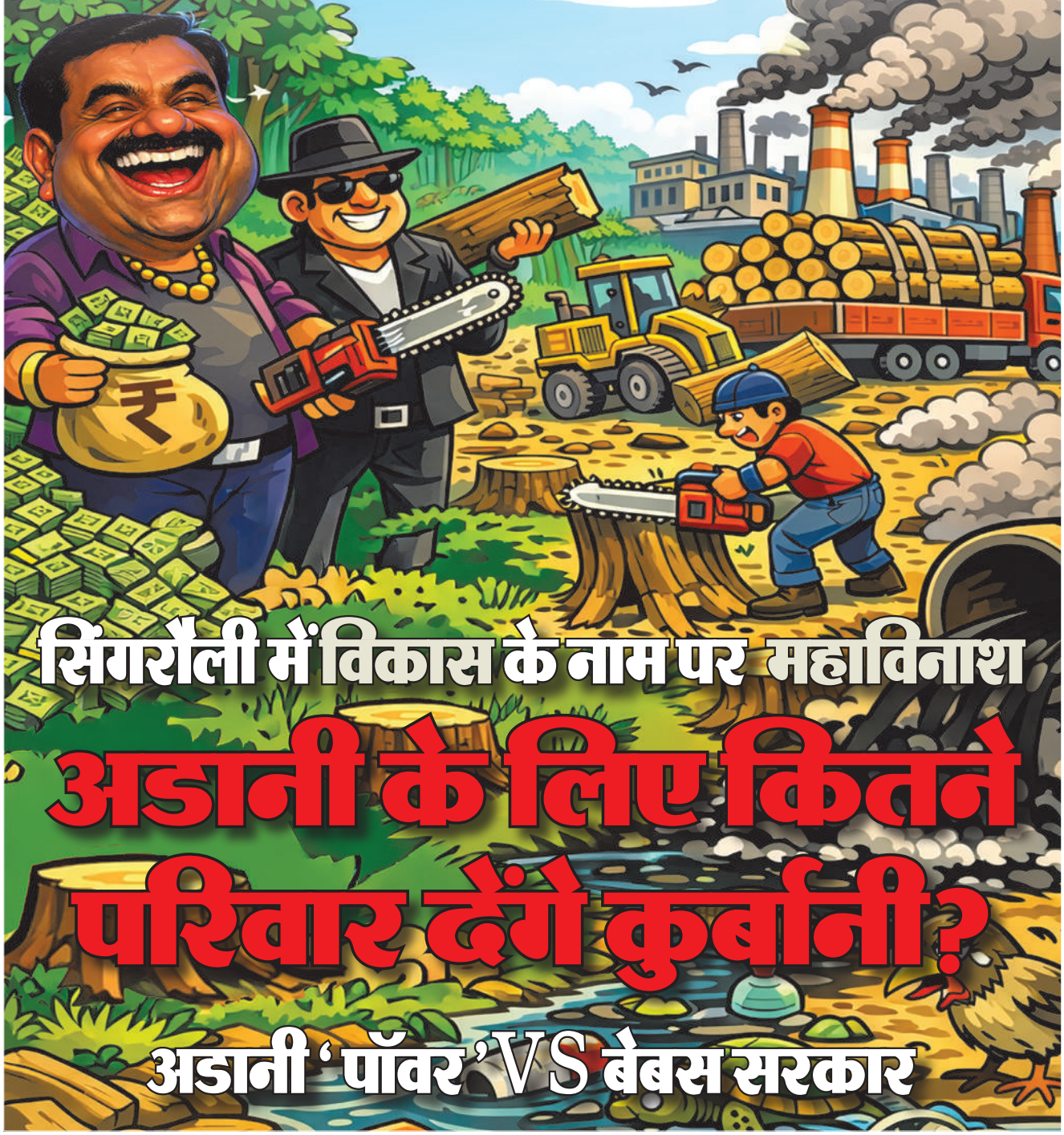

सिंगरौली में विकास के नाम पर महाविनाश

अडानी के लिए कितने परिवार देंगे कुर्बानी?

अडानी 'पॉवर' VS बेबस सरकार

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- बजट में दिखी आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की झलक 31
- बदहाल आर्थिक हालात के बीच बजट में सभी को साधने की कोशिश ...40
- यह ट्रेड डील नहीं बल्कि सरेंडर डील है 44
- यह ट्रेड डील नहीं बल्कि सरेंडर डील है 49
- भारत में स्कूली बच्चों की सुरक्षा-शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन की रक्षा का राष्ट्रीय और वैश्विक दायित्व 52
- ट्रंप ने विश्व में मचाई तबाही 56
- कविता 59
- 1857 मुक्ति संग्राम में बड़वानी क्षेत्र में मोर्चा थामा सीताराम कंवर और रघुनाथसिंह भिलाला ने 60
- **Gadia Lohars: Still on the move 62**

वन हो या परिवहन...
छत्तीसगढ़ वन एवं परिवहन
कूटेंगे धन, दनादन!
विजया:)

क्या अमेरिका और इज़राइल का अकेला सामना कर रहा है ईरान?

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया की राजनीति अत्यंत जटिल और संवेदनशील हो गई है। विशेष रूप से ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए यह प्रश्न बार-बार उठता है कि क्या ईरान वास्तव में अमेरिका और इज़राइल का अकेले सामना कर रहा है या फिर यह संघर्ष कई परोक्ष शक्तियों और रणनीतिक हितों का परिणाम है। दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति तक जाती हैं, जब ईरान में शाह की सत्ता समाप्त हुई और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी नीतियों का तीखा विरोध किया। इसी बीच इज़राइल भी ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है, विशेषकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। इस संदर्भ में 2015 में ईरान परमाणु समझौता (JCPOA) हुआ था, जिसमें ईरान और कई विश्व शक्तियों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना था। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।

इज़राइल का मानना है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि इज़राइल कई बार ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। दूसरी ओर, ईरान भी यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल उर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ईरान पूरी तरह अकेला है। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश पूर्णतः अकेला नहीं होता। ईरान के कुछ रणनीतिक साझेदार भी हैं, जिनमें रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। ये देश कई वैश्विक मंचों पर ईरान के साथ कूटनीतिक सहयोग करते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भी ईरान के कुछ प्रभावशाली सहयोगी संगठन हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह और हमास, जो क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह सच है कि सैन्य और आर्थिक दृष्टि से अमेरिका और इज़राइल की संयुक्त शक्ति के सामने ईरान की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है, जबकि इज़राइल तकनीकी रूप से अत्यंत उन्नत सैन्य क्षमता रखता है। इन दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार प्रणाली, उन्नत खुफिया नेटवर्क और मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी है।

दूसरी ओर, ईरान ने भी अपनी रक्षा रणनीति को अलग तरीके से विकसित किया है। उसने मिसाइल तकनीक, ड्रोन क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत किया है। इसके अलावा ईरान प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय अप्रत्यक्ष रणनीति का उपयोग करता है, जिसमें वह क्षेत्रीय सहयोगियों और प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए रखता है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान का प्रभाव लगातार बना हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष केवल तीन देशों के बीच का सीधा टकराव नहीं है, बल्कि यह व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। इसमें उर्जा संसाधनों, क्षेत्रीय प्रभुत्व, सुरक्षा चिंताओं और वैचारिक मतभेदों जैसे कई कारक शामिल हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इज़राइल के साथ गंभीर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना जरूर कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह अकेला नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके कुछ सहयोगी और क्षेत्रीय प्रभाव मौजूद हैं, जो इस शक्ति संतुलन को जटिल बनाते हैं। इसलिए पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दें, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।

विजया पाठक

सिंगरौली में विकास के नाम पर महाविनाश
अडानी के लिए कितने परिवार देंगे कुर्बानी?
अडानी 'पॉवर' VS बेबस सरकार

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अदानी समूह को कोयला खदान के लिए लगभग 2,672 हेक्टेयर (वन, सरकारी व निजी) जमीन का आवंटन किया गया है, जो स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यह परियोजना स्थानीय आदिवासियों की आस्था, आजीविका, वनों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है, क्योंकि यहां कथित तौर पर बिना उचित पुनर्वास के विस्थापन किया जा रहा है। इस परियोजना के कारण लगभग 06 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई करने की परमीशन दी है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ एक पेड़ मॉ के नाम अभियान के तहत मोदी सरकार पर्यावरण का संदेश दे रही है वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी को लाखों पेड़ काटने की परमीशन दे रही है। मोदी सरकार की पर्यावरण संरक्षण की यह दोहरी नीति लोगों को रास नहीं आ रही है। आखिर मोदी सरकार गौतम अडानी को लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है। जबकि अडानी के कारण देश की साख पर बट्टा लग चुका है। अमेरिका की अदालत में अडानी को लेकर केस चल रहा है। मध्य प्रदेश पॉवर प्लांट में देश के जाने माने उद्योगपति अडानी ग्रुप ने एंट्री की है। सिंगरौली जिले के धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को खदान संचालन की अनुमति दी गई है। सिंगरौली के धिरौली खदान की उत्पादन क्षमता सालाना 6.5 मिलियन टन है। 5 एमटीपीए उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और शेष भूमिगत खनन से होगा। ब्लॉक में 620 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रास जियोलाजिकल रिजर्व और 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद है। खदान की ओपन कास्ट पीक रेट क्षमता वित्त वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि भूमिगत खनन की शुरुआत 09 साल बाद की जाएगी। अडानी पॉवर के पास इस ब्लॉक की 30 साल की लीज़ है। धिरौली ब्लॉक से अडानी पावर की मर्चेंट पावर आवश्यकताओं को पूरा करेगा और साथ ही 1,200 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट को आपूर्ति भी करेगा, जिसे मौजूदा समय में 3200 मेगावाट तक विस्तारित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम किया जा रहा है। गौतम अडानी का व्यवसायिक विस्तार प्रकृति के दोहन और संरक्षण के मिले-जुले दावों से घिरा है। जहाँ अडानी समूह ने ग्रीन एनर्जी, सौर और पवन उर्जा में बड़ा निवेश कर खुद को सतत ऊर्जा प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। वहीं उनके कोयला खनन, बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों की परियोजनाओं (जैसे कारमाइकल, ऑस्ट्रेलिया और गोड्डा, भारत) पर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाने और स्थानीय लोगों को विस्थापित करने के आरोप लगे हैं। सिंगरौली जिले में कोल माइंस के लिए अडानी ग्रुप की दी गई जमीन से बड़ी संख्या में पेड़ काटने और आदिवासियों को विस्थापित करने का मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक पहुंच गया है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सिंगरौली के प्रभावित आदिवासियों की पीड़ा सुनी। उन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा- आप घबराइए मत, मैं यह मामला संसद में उठाउंगा। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और जल्द ही वे स्वयं सिंगरौली आकर स्थिति का जायजा लेंगे। मोदी सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए आदिवासियों का हक छीन रही है, उनके जल-जंगल-जमीन पर कब्जा कर रही है। लेकिन ये तानाशाह सरकार याद रखे, हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस ने मप्र विधानसभा में भी सिंगरौली मामले पर सरकार को खूब घेरा।

विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान मां के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडानी समूह को धिरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,672 हेक्टेयर (लगभग 6,600 एकड़) वन और निजी भूमि आवंटित की गई है। सिंगरौली का यह 2,672 हेक्टेयर कुल क्षेत्र है, जिसमें 1,397 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि शामिल है। परियोजना के लिए लगभग 6 लाख से 10 लाख पेड़ काटे जाने की आशंका है। अडानी की धिरौली खदान की उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तय की गई है। इसमें से 05 मिलियन टन कोयला

सिंगरौली के धिरौली के यह जंगल हैं, जो एक समय काफी हरे-भरे और सुंदर हुआ करते थे, लेकिन वनों की कटाई के चलते इसे उजाड़ा जा रहा है। बड़े-बड़े और सुंदर पेड़-पौधों को काटा जा रहा है।

खुली खदानों से और शेष उत्पादन भूमिगत खनन से निकाला जाएगा। इस ब्लॉक में कुल 620 मिलियन मीट्रिक टन सकल भू-गर्भीय भंडार मौजूद है। वहीं, शुद्ध भंडार 558 मिलियन मीट्रिक टन है। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक खुली खदान की अधिकतम क्षमता हासिल कर ली जाए। जबकि भूमिगत खनन लगभग 09 साल बाद शुरू किया जाएगा। अदानी पॉवर को यह ब्लॉक 30 साल के पट्टे पर दिया गया है। अदानी पावर कंपनी के पास फिलहाल 1,200 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र है। योजना है कि आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर 3,200 मेगावाट किया जाए। इसके लिए धीरौली खदान से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहां कई बड़ी कोयला खदानें और बिजली संयंत्र पहले से सक्रिय हैं। 03 मार्च 2021 को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद से इस पर

सवाल यह नहीं कि जंगल क्यों कटेः सवाल यह है कि किसकी अनुमति से, किसकी चुप्पी से यह सब हुआ? आज सिंगरौली पूछ रहा है, क्या आदिवासी इंसान नहीं हैं? क्या उनका जंगल, उनकी ज़मीन सिर्फ कागज़ पर है? सरकार ने 204 करोड़ रूपये में पूरा जंगल अडानी को सौंप दिया, जबकि वहां 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कोयला है।

विवाद जारी है। स्थानीय आदिवासियों की जमीन और आजीविका (महुआ, तेंदू, जलाउ लकड़ी) पर संकट का आरोप लग रहा है।

सवाल यह नहीं कि जंगल क्यों कटेः सवाल यह है कि किसकी अनुमति से, किसकी चुप्पी से यह सब हुआ? आज सिंगरौली पूछ रहा है, क्या आदिवासी इंसान नहीं हैं? क्या उनका जंगल, उनकी ज़मीन सिर्फ कागज़ पर है? सरकार ने 204 करोड़ रूपये में पूरा जंगल अडानी को सौंप दिया, जबकि वहां 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कोयला है।

आक्सीजन का बैंक रहे हैं सिंगरौली के जंगल

सिंगरौली जिले के अत्यंत पिछड़े विकासखंड देवसर में 1400 हेक्टेयर वन भूमि को अड़ानी समूह को कोयला उत्खनन के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया।

लगभग 06 लाख पेड़ जो अधिकतर साल प्रजाति के हैं उनकी कटाई शुरू हो गई और अब तक 40,000 हज़ार पेड़ों को काट दिया गया है। साल के साथ, महुआ, चिरौंजी, आंवला, तेंदू, बीजा, बहेड़ा हर्रा प्रजाति के वृक्ष जो स्थानीय आदिवासी, वनवासी

उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। अडानी को नई ऊचांईयों तक पहुंचाने में मोदी को बहुत बड़ा रोल है। सिंगरौली खदान आवंटन में भी मोदी की ही मेहरबानी है। मोदी ने प्रकृति को नजरअंदाज कर अडानी को यह जंगल दिया है।

समुदाय के आजीविका का मुख्य साधन है। यह हजारों वर्षों से अनवरत जारी था। अचानक आदेश से खत्म किया जा रहा है। सिंगरौली के जंगल अनादिकाल से विंध्य के एकड़ भूमि पर जल-जंगल-जमीन खत्म कर एक नया अडानी देश बनाया जा रहा है। बिना किसी पर्यावरण, शासन या सामाजिक अनुमति के जंगल को पूरी तरह नष्ट कर पेड़ और अडानी के नाम पर लाखों पेड़, यह मोदी सरकार के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। पिछले दिनों कांग्रेस की 12 सदस्यीय टीम सिंगरौली पहुंची थी।

आखिर अडानी को लेकर संवेदनशील क्यों है मोदी सरकार?

ऑक्सीजन बैंक रहे हैं।

जंगल-जमीन खत्म कर बना रहे अडानी देशः जीतू पटवारी

आदिवासी परिवारों से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 10 हजार दिया गया है। आदिवासियों और स्थानीय लोगों को न मुआवजा मिला, न ही कोई पुनर्वास। जीतू पटवारी ने कहा कि यह कदम राज्य के 1.5 करोड़ आदिवासियों के अधिकारों पर हमला है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा, मां के नाम पर एक

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सिंगरौली के आदिवासियों ने थी मुलाकात

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के आदिवासियों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान

सिंगरौली में अडाणी समूह के प्रोजेक्ट पर मुख्य बिंदु

परियोजना: अडाणी से संबद्ध कंपनी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने धिरौली कोयला ब्लॉक में खनन के लिए 2,672 हेक्टेयर जमीन प्राप्त की है।

भूमि विवरण: इसमें 544 हेक्टेयर निजी, 680 हेक्टेयर सरकारी और लगभग 1,400 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।

विरोध और विस्थापन: निवासियों के अनुसार, ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और लोगों को बिना सही मुआवजा या पुनर्वास के विस्थापित किया जा रहा है।

पर्यावरणीय प्रभाव: स्थानीय लोग व कार्यकर्ता अडाणी को जमीन देने पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान का आरोप लगा रहे हैं।

कानूनी मुद्दे: आरोप हैं कि यह परियोजना वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा (PESA) नियमों का उल्लंघन कर रही है।

प्रशासनिक कार्रवाई: विस्थापन के विरोध के चलते सुलियारी और धिरौली क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई थी।

आदिवासियों ने अपनी जमीनी समस्याओं से अवगत कराया। जिस पर राहुल-प्रियंका ने सिंगरौली आने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वन एवं वनवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक पैसा एक्ट और वनाधिकार अधिनियम लाए परंतु इस बर्बर

सिंगरौली में गौतम अडानी को दी 06 लाख पेड़ काटने की परमीशन!

सत्ता ने इसे धीरौली के इकोसिस्टम, जैव विविधता और आदिवासी-वनवासी समुदाय को लाभ और सुरक्षा ना पहुंचे इसका पूरा प्रबंध किया। आदिवासियों ने उनके समक्ष अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में औद्योगिक गतिविधियों

और खनन परियोजनाओं के कारण वह लंबे समय से विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

आदिवासियों का हक मारकर हासिल किया हसदेव जंगल

संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य,

अडानी ने अमेरिका में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड पर अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। मामला 20 नवंबर 2024 के उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया था कि 2020 से 2024 के बीच सोलर प्रोजेक्ट्स के कान्ट्रैक्ट पाने के लिए 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा की रिश्वत दी गई। अमेरिका पिछले 14 महीने से अडानी को समन देना चाहता है, इसके लिए मोदी सरकार से मदद मांगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को समन भेजने नहीं दे रहे हैं। आखिर अडानी को लेकर मोदी सरकार फेवर में क्यों रहती है। जबकि अडानी के कारण देश की काफी किरकिरी हो रही है। इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग आपराधिक जांच कर रहा है, जबकि SEC गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व CEO विनीत जैन के खिलाफ सिविल केस चला रहा है।

रिश्वतखोरी का कथित आरोप: आरोप है कि गौतम अडानी, उनके भतीजे और कुछ अन्य अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को पैसे (लगभग 250-265 मिलियन) देने की साजिश रची ताकि उन्हें बड़े सौर उर्जा के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकें। यह पैसा सरकार के अधिकारियों को अनुचित फायदा देने के लिए बताया गया है।

निवेशकों को धोखा देने का आरोप: आरोप के अनुसार उन्हें अमेरिकी निवेशकों को भ्रामक जानकारी दी गई, जिसमें कहा गया कि कंपनी की नीति भ्रष्टाचार से दूर है, जबकि आरोप है कि दरअसल ऐसा नहीं था। इससे निवेशकों का भरोसा गलत तरीके से प्राप्त किया गया।

अमेरिकी नियमों का उल्लंघन: अमेरिकी कानून Foreign Corrupt Practices Act के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। यह कानून विदेशों में रिश्वत देने और प्रतियोगिता को प्रभावित करने पर रोक लगाता है।

धोखाधड़ी और साक्ष्य छिपाने का आरोप: मामला यह भी कहता है कि कुछ साक्ष्यों या जांच को रोकने की कोशिश की गई और इसमें फेडरल जांच एजेंसियों जैसे FBI, SEC आदि की जांच में बाधा डालने का आरोप भी है।

खनन निगमों और आम लोगों के बीच अक्सर होने वाले संघर्षों का केंद्र रहा है। हसदेव अरण्य के जंगलों में रहने वाले गोंड समुदाय के लोगों की जीवनशैली खतरे में है, क्योंकि अडानी समूह लगातार नई कोयला खदानें खोल रहा है। बड़े पैमाने पर

खुले में की जा रही ये खदानें जंगलों, नदियों और पैतृक भूमि के लिए स्पष्ट खतरा पैदा कर रही हैं। इससे भी अधिक गंभीर समस्या यह है कि अडानी के कारण यहां की संस्कृति और धर्म का क्षरण हो रहा है। खदान, जहां वन को साफकर परिचालन शुरू हो चुका है, अदानी समूह की एक कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा है। खनन अदानी के लिए एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। हसदेव अरण्य के जंगलों में कोयला खनन के खिलाफ आदिवासियों का अभियान 2013 में पीईकेबी कोयला खदान के संचालन शुरू होने के बाद शुरू हुआ। इससे सटे ब्लॉकों के आदिवासी निवासियों ने एचएबीएसएस (हसदेव अरण्य बचाओ

पिछले दिनों मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में काँग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल सिंगरौली जिले के उस स्थान पर गया था जहां आदिवासियों की जमीन को अडानी की कंपनी को दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आदिवासियों से बात तक नहीं करने दी।

आदिवासियों की आस्था और आजीविका पर अडानी का प्रहार

स्थानीय आदिवासी हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस जंगल को बचाना क्यों ज़रूरी है? यह मध्य भारत के सबसे बड़े और निरंतर घने जंगलों में से एक है, जो 170,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और मध्य भारत में फैले हाथी गलियारे का हिस्सा है। यह आदिवासी समुदायों भारत के मूल निवासियों का पारंपरिक निवास स्थान है। हालांकि, इस जंगल के नीचे अनुमानित पांच अरब टन कोयले का भंडार भी है। भारत सरकार ने हसदेव अरण्य वन में तीस कोयला ब्लॉक चिन्हित किए हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोयला उद्योग में भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी अदानी समूह इनमें खनन करने में रूचि रखती है। एकमात्र कोयला ब्लॉक, परसा ईस्ट कांटा बासन (पीईकेबी) कोयला संघर्ष समिति) के बैनर तले संगठित होकर यह सुनिश्चित किया कि उनके जंगलों को और अधिक साफ करके खनन न किया जाए। आदिवासियों के लिए यह जीवन-मरण का संघर्ष है। यदि आवंटित सभी कोयला ब्लॉकों में खनन शुरू हो जाता है, तो सैकड़ों गाँव विस्थापित हो जाएँगे। जंगलों से बेदखल होने से लोगों की आजीविका छिन जाएगी। फिर भी, भारत के संविधान के तहत, आदिवासी बहुल क्षेत्रों को उनके स्वदेशी अधिकारों को मान्यता देने वाले प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित किया जाना चाहिए। 2015 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मदनपुर गए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ हैं। अब हालात बदल गए हैं। आदिवासी जीवन को दोनों तरफ से नष्ट

किया जा रहा है। कोयला खनन और विस्थापन से उनकी जमीन, जंगल और आजीविका नष्ट हो रही है, और उनकी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा को व्यावसायिक मुख्यधारा के हिंदू धर्म से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और उन्हें धीरे-

शासन-प्रशासन अडानी के साथ
दर-दर की ठोकर खा रहे आदिवासी
पलायन को हो रहे मजबूर

सिंगरौली के धीरौली, अमरेली और बिरकुनिया जैसे विभिन्न गांवों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। पूंजीपतियों और कोयला खनन को लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ग्राम सभाओं से अनुमति जबरदस्ती और डरा-धमकाकर प्राप्त की गई है। पूरे जिले में पीईएसए (पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम), एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) और अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है। लगभग 06 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की आशंका है। धारौली ब्लॉक में 1,398 हेक्टेयर वन भूमि पर वनों की कटाई हो रही है। जिले में बड़े पैमाने पर हो रही इस वनों की कटाई से जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीण विस्थापित हो रहे हैं। मप्र सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने परियोजना से स्थानीय लोगों के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का खंडन करते हुए कहा, 3 मार्च, 2021 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत धिरौली कोयला ब्लॉक स्ट्रैटेटेक मिनरल प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। यह आवंटन सराय तहसील के विभिन्न गांवों में 2,672 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में फैले खनिज कोयले के खनन हेतु किया गया था। आवंटन के बाद, वन (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1980 के तहत कोयला ब्लॉक में शामिल 1397.54 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार ने 09 मई, 2025 को इसे अंतिम मंजूरी दी। कोयला ब्लॉक क्षेत्र अधिसूचित पीईएसए क्षेत्र में नहीं आता है। स्ट्रैटेटेक अदानी समूह की एक सहायक कंपनी थी, जिसका

धीरे आत्मसात किया जा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ता है। हसदेव के जंगलों को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का फेफड़ा कहा जाता है। 3000 वर्ग किलोमीटर में फैले ये जंगल समृद्ध जैव विविधता के साथ-साथ एक

पिछले साल एक अन्य सहायक कंपनी- महान एनर्जेन लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया था, जो अब कोयला ब्लॉक का प्रबंधन करती है। अहिरवार ने कहा कि केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में 1397.54 हेक्टेयर क्षेत्र में 5,70,667 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी और अब तक 33,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के कई विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि कोयला ब्लॉक क्षेत्र को पीईएसए की पांचवीं अनुसूची के तहत 2023 तक संरक्षित किया गया था और 2023 और 2025 के बीच इसकी स्थिति बदल दी गई थी।

अडानी की कंपनी का उद्देश्य है आदिवासी भूमि पर कब्जा करना

अडानी कंपनी को सुलियारी कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कॉलोनी को मंजूरी देना और उसका निर्माण करना भी शामिल है। दरअसल, एपीएमडीसी को अभी तक कोयला खदान का कब्ज़ा नहीं मिला है, क्योंकि लोग अभी भी 09 गांवों में बसे हुए हैं। इसके बावजूद, अडानी कंपनी ने 2022 से डोंगरी गांव में खनन कार्य शुरू कर दिया है। आधिकारिक कब्ज़े की कोई जानकारी न होने के बावजूद, अडानी कंपनी स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालकर 09 गांवों को जबरन खाली कराना चाहती है और पुलिस बल की मदद से कुछ आदिवासियों के घर गिरा रही है। जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि धारा 144 लागू करने से पहले ही लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें फंसाया जा रहा है। अडानी कंपनी के लोग गांवों की बिजली जैसी सभी सुविधाएं काट रहे हैं, जल

बड़ी आदिवासी आबादी का घर हैं। हसदेव के जंगलों में 82 प्रजातियों के पक्षी और कई लुप्तप्राय पौधे और तितली प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जंगल सतपुड़ा मैकाल टाइगर लैंडस्केप से पूर्वी दिशा में जुड़ते हैं, जो झारखंड के पलामू बाघ अभ्यारण्य को

संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और सड़कों को अवरूद्ध कर रहे हैं। सत्ताधारी पुलिस और प्रशासन अडानी कंपनी के साथ हैं, विस्थापित लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसी डर से कई लोग छत्तीसगढ़ की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदाय में और अधिक अशांति फैल रही है, जो पहले से ही अपने घर और आजीविका खोने के तनाव में है। यहां सवाल उठता है कि इन निर्दोष आदिवासियों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। क्या सत्ताधारी पार्टी और स्थानीय प्रशासन अडानी जैसे उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं? पिछले चार वर्षों से, अडानी कंपनी और प्रशासन विस्थापित लोगों को पुनर्वासित किए बिना ही क्षेत्र से भगाने की बात करते आ रहे हैं।

एपीएमडीसी ने कोयला खदान में अदानी कंपनी को पूरी छूट दे दी

सुलियारी कोयला खदान मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अडानी की कंपनी द्वारा संचालित एक परियोजना है। सुलियारी ब्लॉक में कोयला खनन मार्च 2022 में शुरू हुआ था। इस कोयला खदान ब्लॉक में लगभग 142 मिलियन टन कोयले का भूवैज्ञानिक भंडार है और यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में 1298 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 259.239 हेक्टेयर वन भूमि भी शामिल है। इस कोयला ब्लॉक का आवंटन आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) नामक सरकारी कंपनी द्वारा किया जाता है। एपीएमडीसी तेजी से खदान का विस्तार कर रही है। इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अडानी कंपनी की एक सहायक कंपनी को खदान ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है। तकनीकी दृष्टि से, अडानी कंपनी खदान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ) है। सुलियारी कोयला

बांधवगढ़ और अचानकमार बाघ अभ्यारण्यों से जोड़ता है। ये हाथियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी गलियारा भी हैं और प्रस्तावित लेमरूहाथी अभ्यारण्य के क्षेत्र को भी अपने दायरे में लेते हैं। यहां रहने वाले लगभग 10,000 लोग, जिनमें गोंड,

खदान से नौ गाँव प्रभावित हैं- अमदंद, अमराइखो, बजाउदी, बेलवार, डोंगरी, धीरोली, झालारी, मझौलीपथ और सिरसावा। इन 09 गांवों में से 4 गांव- आमदंड, अमराइखोह, बेलवार और सिरसावा- अडानी कंपनी की धीरोली कोयला खदान के कारण विस्थापित हो चुके हैं। धीरोली कोयला खदान, सुलियारी कोयला खदान क्षेत्र के निकट स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार, अडानी कंपनी ने अभी तक धीरोली कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं किया है। भूमि अधिग्रहण से पहले लोगों की सहमति आवश्यक है, जिसके बाद ही

अधिग्रहण का आदेश दिया जाता है। लेकिन अडानी कंपनी के लोग भोले-भाले आदिवासियों को कंबल और मच्छरदानी बांटकर और उनसे विशेष सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर आदिवासियों की जमीन हड़पने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, एपीएमडीसी अपने द्वारा अधिग्रहित भूमि से एस्सार थर्मल पावर प्लांट तक कन्वेयर बेल्ट और सड़कें बना रही है, जिसे अडानी ने अधिग्रहित किया है। अकेले सुलियारी कोयला खदान से ही 1600 से अधिक परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है। आंध्र प्रदेश खनन विकास निगम (एपीएमडीसी) का दावा है कि उसने 400 परिवारों का पूर्ण पुनर्वास कर दिया है, लेकिन जमीनी सूत्रों के अनुसार इन 400 परिवारों में से केवल 25 प्रतिशत का ही पुनर्वास हो पाया है। कई लोग अपने हक के मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीढ़ियों से खेती करने वाले और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। पुनर्वास के लिए बुनियादी आवासों के निर्माण में देरी हो रही है। दोषपूर्ण नई इमारतें ढह रही हैं। इस बीच, जो थोड़ा-बहुत मुआवजा मिला है, वह भी तेजी से खत्म हो रहा है।

अडानी की कंपनी निकालेगी सोना

सिंगरौली जिले की जमीन से अडानी की कंपनी अगले 05 साल में 18536 टन सोना निकालेगी। अडानी ग्रुप की गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है। एग्रीमेंट के तहत कंपनी अगले 5 साल तक गोल्ड माइंस का संचालन करेगी। जिले के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में अडानी की कंपनी सोना निकालेगी। इस खनन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा शासकीय भूमि है जबकि कुछ हिस्सा निजी भूमि के अंतर्गत आता है। इस गोल्ड माइंस के अलावा दो और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं। जिनकी नीलामी हो चुकी है और वर्तमान में ड्रिलिंग कार्य चल रहा है। ड्रिलिंग के बाद अन्य दो खदानों में सोने की मात्रा का पता चलेगा। चितरंगी ब्लॉक के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में कई खदानें अब तक आवंटित हो चुकी हैं इनमें गोल्डमाइंस (23.60 हेक्टेयर) मेसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेस को, जबकि गुरहर पहाड़, सिल्फेरी और सिधार (149 हेक्टेयर), अमिलहवा (1000 हेक्टेयर) और सोनकुरवा (260 हेक्टेयर) गोल्ड ब्लॉक मेसर्स कुंदन गोल्ड माइंस को आवंटित किए गए हैं। मिसिरगवां

लोहार, ओरांव और अन्य आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए इन जंगलों पर निर्भर हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने हसदेव को 'मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित जंगल बताया है, जिसमें

आयरन ब्लॉक (1550 हेक्टेयर) रॉकस्टोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। खनिज विभाग के मुताबिक इन खदानों से 200 से 250 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

आदिवासियों ने विस्थापन के बदले मांगी मुआवजा और जमीन

आदिवासियों की मुख्य मांग यह है कि उनका जंगल न उजाड़ा जाए। इसके अलावा उन्हें जो मुआवजा और जमीन दी जा रही है। उसमें भेदभाव किया जा रहा है। जिसे रोका जाए और उचित

मुआवजा दिया जाएगा। आदिवासियों ने यह भी बताया कि वह प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हैं तो उनके उपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि सिंगरौली में आदिवासियों, पर्यावरण और स्थानीय आबादी के अधिकारों को नजरअंदाज कर अडानी समूह को बड़े पैमाने पर खनन की छूट दी गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे संस्थागत लूट करार देते हुए कहा कि पहले छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को उजाड़ा गया और अब मध्यप्रदेश के जंगलों की बारी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक तरफ सरकार एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान चलाती है, वहीं दूसरी तरफ हजारों-लाखों पेड़ कटवाने की अनुमति दी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने महज 204 करोड़ रूपए में अडानी को पूरा जंगल सौंप दिया, जबकि इस क्षेत्र में मौजूद कोयले की कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पार्टी ने कहा कि खदान, संचालन और कोयला उत्पादन सब कुछ एक ही कंपनी के हाथ में देकर नियमों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सिंगरौली में भूमि अधिग्रहण के दौरान 2013 के कानून को दरकिनार कर कोल बेयरिंग एरिया एक्ट का इस्तेमाल किया गया, जिससे सरकार को जबरन जमीन लेने का अधिकार मिल जाता है। आरोप है कि न तो पेसा कानून का पालन किया गया और न ही ग्राम पंचायतों से अनुमति ली गई। आदिवासियों के लिए अलग सामाजिक सर्वे कराने की अनिवार्यता को भी नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सिंगरौली पहले 5वीं अनुसूची क्षेत्र माना जाता था, लेकिन खनन परियोजना के लिए नियमों की व्याख्या बदल दी गई। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई गई और वाइल्ड लाइफ से जुड़े नियमों में भी ढील दी गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि कई मामलों में मुआवजा जमीन मालिक आदिवासियों की बजाय अन्य लोगों को मिल गया, जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कांग्रेस ने साफ किया कि सिंगरौली का मुद्दा केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और संसाधनों की रक्षा का है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि परियोजना पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्राचीन साल और सागौन के जंगल शामिल हैं।' इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वन-आधारित संसाधन आदिवासी समुदायों की वार्षिक आय का 60-70 प्रतिशत हिस्सा हैं, जिन पर वे सदियों से निर्भर रहे हैं। दुर्भाग्य से, हसदेव एक विशाल कोयला क्षेत्र

अडानी समूह के पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक पहलू

गोड्डा पावर प्लांटः झारखंड में इस संयंत्र के लिए गंगा नदी से सालाना 36 अरब लीटर पानी का उपयोग और स्थानीय भूजल की कमी का मुद्दा उठाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई खदानः क्वींसलैंड में कारमाइकल कोयला परियोजना पर वन्यजीव आवासों को नष्ट करने और ग्रेट बैरियर रीफ के पास प्रदूषित पानी छोड़े जाने के आरोप लगे हैं।

बंदरगाह विकासः मुंद्रा बंदरगाह विकास के दौरान मैंग्रोव, खाड़ी प्रणालियों और प्राकृतिक समुद्री प्रवाह को नुकसान पहुँचाने के लिए जुर्माना लगाया गया था।

कानूनी और सामाजिक संघर्ष :

कई परियोजनाओं, विशेष रूप से खदानों और बंदरगाहों को स्थानीय निवासियों के विरोध और कानूनी चुनौतियों (जैसे एनजीटी, बॉम्बे हाई कोर्ट) का सामना करना पड़ा है, जहाँ विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष देखा गया है।

कुल मिलाकर, अडानी के लिए प्रकृति का दोहन एक जटिल विषय है, जहाँ एक तरफ भारी जीवाश्म ईंधन खनन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हैं, तो दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी में भारी निवेश का दावा भी है।

आम नागरिकों के जीवन से ज्यादा जरूरी अडानी का लाभ

मोदी और भाजपा को वोट देने वाले आम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा अडानी के लाभ के आगे केंद्र सरकार के लिये कोई मायने नहीं रखती है। आम नागरिक, पशु पक्षी की जान जाये, जैव विविधता नष्ट हो तो हो, लेकिन अडानी के आमदनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये। मिर्जापुर के ददरी खुर्द गांव में अडानी समूह द्वारा 1600 मेगावाट के थर्मल पॉवरप्लांट का निर्माण किया जा रहा है। यूपीपीसीएल एवं अडानी समूह के बीच

के उपर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2010 में लगभग 1900 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पारसा ईस्ट और केटे बासन (पीईकेबी) कोयला खदान में परिवर्तित करके कोयला खनन शुरू करने का निर्णय लिया था। तेरह साल बाद, स्थानीय ग्रामीण, आसपास के शहरों के नागरिक, पर्यावरण संगठन और कार्यकर्ता हसदेव के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण विनाश के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे न केवल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बल्कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक द्वारा संचालित सबसे बड़े भारतीय खनन समूह के खिलाफभी खड़े हैं।

आदिवासियों के वन अधिकारों की रक्षा करना

हसदेव के जंगलों में कोयला खनन

5.38 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने का समझौता हुआ था।

अदानी और मोदी की दोस्ती की दास्तान

गुजरात स्थित अडानी समूह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक और तापीय एवं नवीकरणीय दोनों प्रकार की बिजली का सबसे बड़ा निजी उत्पादक है। समूह की कोयला खनन, सिविल निर्माण, रसद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, रियल एस्टेट, खाद्य तेल और खाद्य भंडारण में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। मुंबई में एक सफल हीरा व्यापारी के रूप में कार्यकाल बिताने के बाद, गौतम अदानी 1981 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद चले गए ताकि वे अपने एक चचेरे भाई की पॉली-विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) के व्यापार की फर्म शुरूकरने में मदद कर सकें। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स के तहत एक कमोडिटी ट्रेडिंग वेंचर की स्थापना की और 1990 के दशक के मध्य तक, अडानी की व्यावसायिक सफलताएं ध्यान आकर्षित करने लगीं। मोदी-अडानी की दोस्ती की शुरु आत 2002 में हुई थी, जिस साल गुजरात में हिंदू और मुस्लिमों के बीच भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की आलोचना के बाद, अडानी के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों के एक समूह ने रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात (आरजीजी) की स्थापना की और मोदी का समर्थन करते हुए सीआईआई छोड़ने की धमकी दी। अडानी ने पहले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन (जो सितंबर-अक्टूबर 2003 में हुआ था) के लिए भारी वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान, पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, पश्चिमी तट पर मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह स्थापित करने के लिए अडानी समूह को भारी कीमतों पर जमीन के बड़े-बड़े टुकड़े दिए गए थे। इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में से एक स्थित है, जिसे देश के सबसे बड़े निजी रेलवे नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। इस क्षेत्र की भूमि को अदानी समूह द्वारा विभिन्न अन्य कंपनियों को, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं, उच्च दरों पर पुनः बेचा गया या पट्टे पर दिया गया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान, भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के निजी विमान से पूरे भारत की यात्रा की थी। भाजपा ने बाद में स्पष्ट किया कि उसने अडानी से निजी विमान किराए पर लिए थे।

उद्योग और आदिवासी समुदाय के बीच चल रहा संघर्ष भारत भर में कई अन्य संघर्षों से मिलता-जुलता रहा है। यह संघर्ष आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना से भी पहले शुरू हुआ था, जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य और पूर्वी भाग देश के सबसे संसाधन संपन्न और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों में से हैं। ये क्षेत्र लाखों आदिवासियों का घर भी हैं। हाल के दशकों में, जैसे-जैसे ऐसे संघर्ष बढ़े और सहायक नेटवर्क विकसित हुए, आदिवासी समुदायों के उन जंगलों पर अधिकारों को लेकर आम सहमति बनी, जिन पर उनका जीवन और आजीविका टिकी हुई है।

अदानी समूह की विनाशकारी परियोजनाएं

अडानी समूह की विश्व व्यापी परियोजनाओं पर रिपोर्टें बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियों, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय विनाश, मानवाधिकार उल्लंघन, कर चोरी, धन शोधन और भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। भारत में चल रही एक कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना, जो बांग्लादेश को अपनी संपूर्ण बिजली आपूर्ति करेगी और ऑस्ट्रेलिया में अडानी की कारमाइकल खदानों से कोयला आयात करेगी, भाई-भतीजावाद, शोषण, भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन की ओर इशारा करती है।

गोड्डा तापीय उर्जा परियोजना की उत्पत्ति

भारत के सबसे कोयला समृद्ध राज्यों में से एक झारखंड में 1600 मेगावाट की कोयला आधारित तापीय उर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जहां प्रस्तावित परियोजना स्थल पर स्वदेशी लोग बहुसंख्यक आबादी का गठन करते हैं। हालांकि, अडानी का गोड्डा संयंत्र पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 किलोमीटर दूर स्थित एक खदान से आयातित कोयले पर निर्भर है, जिसका स्वामित्व परियोजना के प्रस्तावक के पास है। ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल खदान में निर्माण कार्य लगभग शुरूहो चुका है, ठीक उसी तरह जैसे 1600 मेगावाट के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट में हुआ था, इन दोनों परियोजनाओं में कई कानूनी और वित्तीय बाधाओं के कारण भारी देरी हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोड्डा थर्मल पावर प्लांट में उत्पादित पूरी बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी। तो फिर गोड्डा को इतने अधिक प्रदूषण फैलाने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले थर्मल पावर प्लांट की क्या जरूरत है? झारखंड राज्य या वहां के मूल निवासियों को, जिनकी उपजाउ बहु-फसली भूमि को अवैध रूप से और जबरन अधिग्रहित कर लिया गया है, इस सौदे से क्या लाभ होगा? इसके अलावा, बांग्लादेश को अदानी के गोड्डा संयंत्र से इतनी महंगी बिजली आयात करने से क्या लाभ होता है? यह परियोजना किस

इसे 2006 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम में औपचारिक रूप दिया गया, जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम या संक्षेप में, वन अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत, आदिवासी (जिन्हें भारत की आधिकारिक भाषा में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है) और अन्य वन निवासी किसी भी वन क्षेत्र पर तीन श्रेणियों के अधिकारों का दावा कर सकते हैं- व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR), सामुदायिक वन

प्रकार स्वदेशी लोगों के शून्य विस्थापन के साथ सार्वजनिक उद्देश्य वाली परियोजना' है? और, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में डालकर गैलिली घाटी में अडानी की विशाल कोयला खदान और एबॉट प्वाइंट बंदरगाह को बढ़ावा देने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहा है?

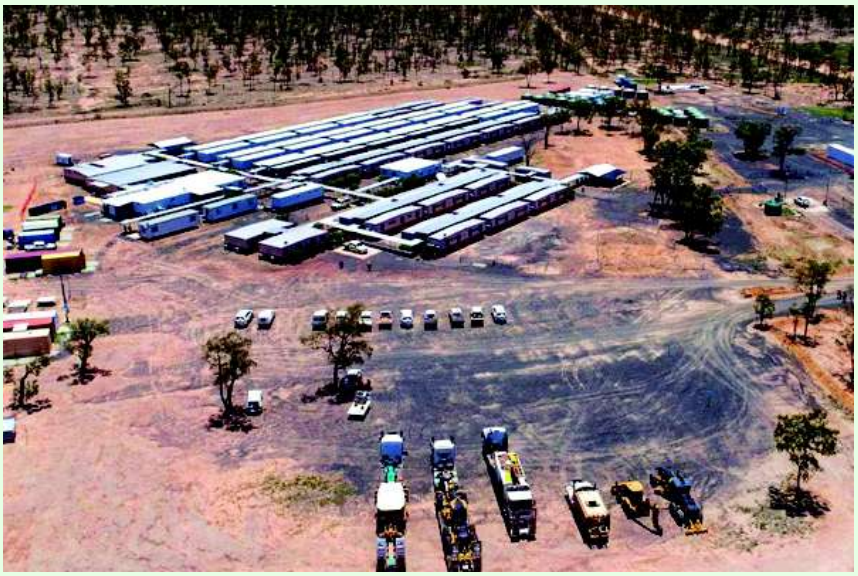

झारखंड राज्य की भाजपा सरकार ने 2016 में 1.6 गीगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पिछले दो वर्षों में जबरन भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (एलएआरआर) अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का गंभीर उल्लंघन, किसानों की खड़ी फसलों को बुलडोजर से नष्ट करना, ग्रामीणों से अडानी को उनकी जमीन बेचने के संभावित लाभों के बारे में झूठ बोलना और पुलिस की बर्बरता और मुकदमों के जरिए प्रभावित लोगों को डराना-धमकाना जैसी घटनाएं हुईं। कंपनी की सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) रिपोर्ट के अनुसार, गोड्डा के दो ब्लॉकों के 10 गांवों में फैली 1,364 एकड़ भूमि को थर्मल पावर प्लांट के लिए अधिग्रहित किया जाना था, जिससे 1,600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है। हालांकि झारखंड की बिजली नीति के अनुसार अदानी पावर लिमिटेड को कुल बिजली का कम से कम 25ऽ हिस्सा प्रदान करना अनिवार्य है, लेकिन अदानी ने किसी अन्य स्रोत से बिजली प्रदान करने का वादा तो किया है, पर उस स्रोत का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। भाई-भतीजावाद पूंजीवाद का एक स्पष्ट उदाहरण पेश करते हुए, झारखंड राज्य की भाजपा सरकार ने अक्टूबर 2016 में अपनी उर्जा नीति में बदलाव किया। बिजली में अपना 25 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने के बजाय, उसने अडानी से अधिक दर पर बिजली खरीदने पर सहमति व्यक्त की, जिससे अगले 25 वर्षों में सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ रूपये से अधिक का बोझ पड़ेगा।

अडानी के केक पर आइसिंग

1,600 मेगावॉट की इस परियोजना को भारत के 2018 के राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का दर्जा दिया गया था। यह भारत का पहला बिजली एसईजेड है, जो पूरी तरह से बिजली निर्यात के लिए तैयार किया गया है। यह भारतीय सरकार द्वारा मौजूदा नियमों में किए गए बदलाव के कारण ही संभव हो पाया है, और इसके तहत अदानी को रेल परिवहन और आयातित कोयले और उपकरणों सहित कई करों से छूट मिल गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परियोजना को एसईजेड घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य अब संयंत्र से उत्पन्न बिजली का हकदार नहीं रह गया था। इस परियोजना को

अधिकार (CFR) और सामुदायिक संसाधन अधिकार (CRR)। सामुदायिक दावे केवल स्थानीय सरकारों या पंचायतों द्वारा ही किए जा सकते हैं। इन दावों की जांच और अनुमोदन राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला प्रशासन द्वारा किया जाना आवश्यक है, और यदि इन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है, तो खनन या किसी अन्य औद्योगिक गतिविधि के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण प्रतिबंधित हो जाता है। यही कारण है कि पंचायतों में त्त्र्व्च्च की जीत का बहुत महत्व है।

पावर फाइनेंस कंपनी (पीएफसी) से लगभग 700 मिलियन डॉलर का ऋण भी स्वीकृत किया गया है, जो बिजली स्टेशनों को वित्त पोषित करने वाली एक भारतीय राज्य-स्वामित्व वाली ऋणदाता कंपनी है और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) से भी 700 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है, जो भारतीय गांवों को विद्युतीकृत करने में मदद करने के लिए बनाई गई एक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी है।

कोयला भारत का, लाभ बांग्लादेश को

जुलाई 2015 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत द्वारा एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगस्त 2016 में, अदानी पावर ने बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ झारखंड, भारत के गोड्डा जिले में बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) आधार पर 1600 (2800) मेगावाट का तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अडानी इस विद्युत परियोजना से उत्पादित संपूर्ण बिजली बांग्लादेश को निर्यात करेगी।

अदानी का लाभ, बांग्लादेश का नुकसान

उर्जा और वित्त क्षेत्र के विश्लेषकों का कहना है कि अडानी की ऑस्ट्रेलिया से 10,000 किलोमीटर दूर एक भारतीय बिजली संयंत्र तक कोयला पहुंचाने की जटिल योजना केवल बांग्लादेशी उर्जा उपभोक्ताओं पर लागत का बोझ डालकर ही संभव हो सकती है। बांग्लादेश का बिजली ग्रिड पहले से ही अतिरिक्त क्षमता की समस्या से जूझ रहा है, इसकी 44 प्रतिशत बिजली क्षमता बेकार पड़ी है और वर्तमान में हर साल उर्जा कंपनियों को उस बिजली के लिए एक अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया जा रहा है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) के उर्जा वित्त अध्ययन निदेशक टिम बकले ने कहा, अडानी पावर भारत में नवीकरणीय उर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वर्तमान में देश के अन्य सभी बिजली उत्पादन स्रोतों में सबसे सस्ता है। अगर बांग्लादेश को वास्तव में अडानी से बिजली चाहिए, तो उन्हें गोड्डा से मिलने वाली महंगी थर्मल पावर के बजाय सस्ती नवीकरणीय उर्जा की मांग करनी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर भारत का अस्पष्ट रूख

हसदेव-अडानी कोयला विवाद से संबंधित प्रमुख तथ्य:

विवाद का मुख्य कारण: हसदेव के जैव विविधता से समृद्ध और आदिवासी बहुल घने जंगलों में कोयला खदानों का विकास।

अडानी समूह की भूमिका: राज्य में कई कोयला खदानों का डेवलपर है, जिसे स्थानीय पर्यावरणविदों और निवासियों का विरोध झेलना पड़ा है।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में

पेरिस जलवायु सम्मेलन में मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए अपने जंगलों का विस्तार करेगा। घर लौटने पर उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय को अपने नियमों में ढील देने का निर्देश दिया। भारत ने उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं लगाई, लेकिन नवीकरणीय उर्जा को बढ़ावा दिया, जबकि कोयला आधारित तापीय उर्जा अभी भी इसकी आधारभूत उर्जा आपूर्ति को बनाए रखती है।

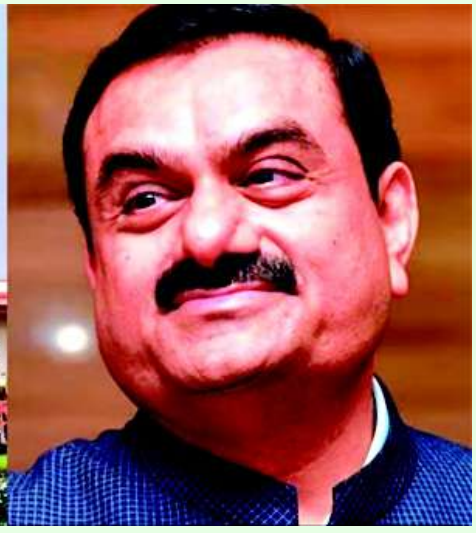

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयला खदानों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई, सिंचाई परियोजनाएं उचित मंजूरी के बिना आगे बढ़ीं और किसी औद्योगिक परियोजना का विरोध करने के आदिवासी ग्राम परिषदों के अधिकार को कमजोर कर दिया गया।

भारत में भ्रष्टाचार, धन शोधन और कर चोरी के मामलों की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा कई देशों को भेजे गए लेटर रोगेटरी (एलआर) को रद्द कर दिया गया था। यह मामला अडानी समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े इंडोनेशियाई कोयला आयात के कथित अधिक मूल्यांकन से संबंधित था। इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त 2017 में रिपोर्ट किया था कि अदानी समूह की एक कंपनी ने लेटर रोगेटरी के माध्यम से सूचना जारी होने को रोकने के प्रयास में सिंगापुर की अदालत में याचिका दायर की थी। 22 अगस्त 2017 को, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने अडानी समूह की दो कंपनियों, अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) को डीआरआई द्वारा मई 2017 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। उपकरणों के ओवर-इनवाइसिंग मामलों से संबंधित अडानी समूह के अज्ञात अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के खिलाफमामला दर्ज करने के एक साल के भीतर ही, सीबीआई ने अडानी समूह की कंपनियों की जांच को अधिकार क्षेत्र के अपेक्षाकृत कमजोर आधारों पर बंद कर दिया था। एक अन्य मामले में, सीबीआई ने आंध्र प्रदेश में बंदरगाहों से बिजली स्टेशनों तक कोयला पहुंचाने के लिए निविदा हेतु एक कंपनी के चयन में कथित अनियमितताओं के आरोप में अडानी एंटरप्राइजेज और बहुराज्यीय सहकारी संस्था एनसीसीएफके एक पूर्व अध्यक्ष और एक पूर्व प्रबंध निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

खनन से न केवल हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं, बल्कि हाथियों के गलियारे पर भी असर पड़ रहा है।

स्थानीय विरोधः स्थानीय आदिवासी समुदाय ने अपनी भूमि, संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति' के बैनर तले लंबा संघर्ष किया है।

कानूनी स्थितिः The Guardian के अनुसार, 2013 तक वन भूमि को कोयला खदानों में बदल दिया गया था, जबकि पर्यावरण समूहों की कानूनी चुनौतियां अभी

पर्यावरण की अनदेखी, कोयला मंत्रालय की मंजूरी

भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की ताप विद्युत उत्पादक कंपनी अडानी पॉवर लिमिटेड को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धीरौली खदान में परिचालन शुरू करने के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अडानी पॉवर को कच्चे माल की सुरक्षा मिलेगी। अदानी पॉवरकी सहायक कंपनी महान एनर्जेन लिमिटेड के स्वामित्व वाली धीरोली खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता 6.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें से 05 मीट्रिक टन प्रति वर्ष ओपन कास्ट माइनिंग से और शेष भूमिगत संचालन से प्राप्त होती है। इस ब्लॉक में 620 मिलियन मीट्रिक टन का सकल भू-वैज्ञानिक भंडार और 558 मिलियन मीट्रिक टन का शुद्ध भू-वैज्ञानिक भंडार है, जो दशकों तक आपूर्ति, ईंधन सुरक्षा और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह अडानी पॉवर की पहली कैप्टिव खदान है जिसे खनन कार्य शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी मिली है। खदान की ओपन कास्ट पीक रेटेड कैपेसिटी (पीआरसी) वित्त वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि भूमिगत खनन नौ साल बाद शुरू होने वाला है। अडानी पॉवर के पास इस ब्लॉक के लिए 30 साल का खनन पट्टा है। धीरौली ब्लॉक से अडानी पॉवर की व्यावसायिक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही पास के 1,200 मेगावॉट के महान पॉवर प्लांट को बिजली की आपूर्ति करने की उम्मीद है, जिसका वर्तमान में 3,200 मेगावॉट का महत्वाकांक्षी विस्तार कार्य चल रहा है।

भी लंबित हैं

सबसे बड़ी चिंता की बात है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अडानी पॉवरको लाभ पहुंचाने की सनक में ददरी खुर्द और आसपास के इलाकों के पर्यावरण, वातावरण, नागरिकों, पशु-पक्षियों एवं पेड़ पौधों के जीवन को भी दांव पर लगा दिया है। एफजीडी नहीं लगने की दशा में पॉवरप्लांट से उत्सर्जित होने वाला सल्फर डाई आक्साइड ना केवल जैव विविधता को प्रभावित करेगा बल्कि आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली आबादी को भी धीमी मौत की सौगात देगा। राजस्थान की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस ब्लॉक का संचालन अडानी समूह (MDO) के हाथों में है। अनुमति पत्र के मुताबिक 4,48,874 पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन हसदेव बचाओ आंदोलन का दावा है कि असल संख्या 07 लाख से ज्यादा है। सरकारी दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि परियोजना क्षेत्र से 10 किमी के दायरे में न तो कोई ऐतिहासिक स्थल है और न एलीफेंट कॉरिडोर।

पहली कोयला खदान और उसके बाद के विवाद

यह खदान लगभग 10 साल पहले खुली थी, और पहले चरण के लिए, खनन हेतु लगभग 760 हेक्टेयर वन क्षेत्र को साफ किया गया था। हालांकि इस वन क्षेत्र में अनुमानित 50 करोड़ टन कोयले का भंडार है, फिर भी परसा ईस्ट और कांटा बासन इस क्षेत्र की दूसरी कोयला खदान है। इस क्षेत्र में कोयला खनन इतना आकर्षक इसलिए है

क्योंकि यहां कोयले के भंडार सतह से केवल 10 मीटर नीचे हैं, जिससे खनन सस्ता हो जाता है। पारसा ईस्ट और कांता बासन (पीईकेबी) कोयला खदान का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब, खदान का क्षेत्र वीरान और उन निवासियों के लिए अपरिचित हो जाएगा, जो पहले यहाँ मौजूद जंगल को जानते थे। हालांकि पहले चरण में 137 मिलियन टन कोयले के भंडार को 15 साल तक चलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन खनन की दर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई, जिससे खदान अनुमान से लगभग 7 साल पहले ही खाली हो गई, जो कानूनी रूप से अनुमत सीमा से भी कम है। जब हम खाली हो चुकी खदान का निरीक्षण कर रहे थे, तब प्रदर्शनकारियों ने हमें बताया कि अदानी समूह ने अब तक कोयले की 6 परतों में से केवल 03 परतों का ही खनन किया है। लेकिन शेष तीन परतों का खनन करने के लिए और गहराई तक खुदाई करने के बजाय, वे खदान को क्षैतिज रूप से विस्तारित करने के लिए और अधिक जंगल काट रहे हैं, और इस तरह वे सस्ते विकल्प को चुन रहे हैं। अनुमान है कि चरण II नामक इस विस्तार के तहत 1,100 हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र को साफ करना होगा, जो अगले 20 वर्षों तक खनन के लिए पर्याप्त होगा। पिछले वर्ष ही 113 हेक्टेयर वन क्षेत्र को साफ करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 45 हेक्टेयर क्षेत्र को उसी वर्ष तेजी से साफकर दिया गया था। फिलहाल, खनन कार्य रूका हुआ है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की जांच कर रहा है।

सिंगरौली के आदिवासियों ने काँग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की।

देशव्यापी नीलामी के लिए कोयले के ब्लॉक उपलब्ध हैं

पीईकेबी के अलावा, भारतीय सरकार ने हसदेव वन में कुल 23 ऐसे कोयला ब्लॉक चिह्नित किए हैं। जब हम वर्तमान पीईकेबी खदान के आकार को देखते हैं और कल्पना करते हैं कि ये कोयला ब्लॉक इस विशाल गड्ढे से कई गुना बड़े हैं, तो इनके खनन से होने वाले विनाश की कल्पना करना असंभव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक और कोयला खनन कंपनी, अदानी समूह, ने भी इन ब्लॉकों का दोहन करने के लिए तुरंत कदम उठाया। जंगलों के नीचे मौजूद लगभग 5 अरब टन कोयला न केवल अदानी समूह के लिए, बल्कि देश भर के विभिन्न राज्यों की अन्य सार्वजनिक और निजी खनन कंपनियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। 23 कोयला ब्लॉकों के लिए आधिकारिक नीलामी प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 13 ब्लॉक पहले ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात जैसे विभिन्न राज्यों के सरकारी खनन संचालकों को नीलाम किए जा चुके हैं, जिन्हें बाद में खनन के लिए निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। कुछ अन्य

इनका कहना है...

दो ढाई साल से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हम आदिवासी हैं। अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी चली जाएगी तो हम कहां जाएंगे। शासन से हमें कुछ भी सुविधाएं नहीं चाहिए। बस इतना चाहते हैं कि हम जहां हैं, हमें वहीं रहने दिया जाए। लेकिन वहां जबरदस्ती लगभग दो हजार पुलिस फोर्स लगाकर हमें हटाया जा रहा है।

- कमलेश आदिवासी, प्रभावित आदिवासी

सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफइंडिया बोला जाता है। सबसे ज्यादा पावर प्लांट हैं और ओपन कास्ट कोल माइंस हैं। धीरे-धीरे इनके लिए अब वहां कोई जगह नहीं बच रही है। लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। अगर वहां अडानी माइंस ले रहे हैं तो दो हजार पुलिस वालों की जरूरत क्या है?

- बलदेव कुमार, प्रभावित आदिवासी

हम लोग तड़प रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे कहां जाएंगे? हम लोग पैसे के लिए नहीं मर रहे हैं, हम लोग जहां रह रहे हैं, हमें वहीं रहने दें। तेंदू अचार इनमें ही हमारी जिंदगी गुजर रही है, यह सब कटवा दिए, हम जाएंगे कहां। पेड़ कट जाएंगे तो क्या वहां स्वस्थ हवा मिल सकती है?

- कामती बाई, प्रभावित आदिवासी

पुलिस लगाकर हमको चारों तरफ से जो भी अपनी बात रखना चाहता था। उसे 151 के तहत प्रकरण बनाकर जेल भेज दिया। इस तरह से कई लोगों पर फर्जी मुकदमें, जिला बदर की कार्रवाई और जेल भेजने की कार्रवाई कर दी। गांव के सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

- रामराज गौंड, प्रभावित आदिवासी

एक अन्य पुरूष आज के समय में इनसे कोई अनुमति नहीं ली गई। जंगल भी खत्म कर दिए। लगभग 3 लाख पेड़ काट दिए हैं। अब आगे भी 10-15 लाख पेड़ और कटेंगे। अभी सबसे बड़ी खदान अड़ानी को आवंटित हुई है, 27 वर्ग किलोमीटर की खदान है, यानी 2200 हैक्टेयर का एरिया दे दिया पूरा। उसमें से 1400 हेक्टेयर वनक्षेत्र है। हमारे एक बैगा आदिवासी भाई को पेड़ कटने से इतना सदमा लगा कि यह मर गया।

- राघव सिंह, प्रभावित आदिवासी

ब्लॉकों की अभी तक नीलामी नहीं हुई है, लेकिन उनके लिए वन विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, जिससे संभावित खनन संचालकों के लिए तुरंत खनन शुरू करना आसान हो गया है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने हाल ही में हसदेव क्षेत्र में 9 नए खनन ब्लॉकों की पहचान की है। सौभाग्य से, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय और जन विरोध प्रदर्शनों के दबाव के बाद विनाश के परिणामों को समझा और केंद्र सरकार से नए ब्लॉकों को खोलने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

हसदेव आंदोलन का जन्म

खनन के खिलाफविरोध प्रदर्शन 2011 में उन गांवों में शुरू हुए जहां खनन शुरू हुआ था। हालांकि, कई ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे खुद को शक्तिहीन और डरा हुआ महसूस कर रहे थे, उनका मानना था कि उनके पास सरकारी आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अडानी के कर्मचारियों ने खुद को भले लोगों के रूप में पेश किया और स्थानीय लोगों को पैसे, उपहार और शराब बांटी। खनन कार्य के कारण जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, उनमें से कुछ को हालांकि, वित्तीय शिक्षा के अभाव में, उनमें से अधिकांश ने यह राशि जल्दी खर्च कर दी और तब से वे जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धीरे-धीरे विरोध प्रदर्शन बड़े शहरों में फैल गए और लगभग 2020 में बिलासपुर तक पहुँच गए। अगले वर्षों में प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, यहाँ तक कि फिल्म समारोह और धरना प्रदर्शन भी आयोजित किए जो आज तक जारी हैं।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27

बजट में दिखी आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की झलक

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रूपए का बजट पेश किया है। राज्य के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। इस बार के बजट में आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की साफ झलक दिख रही है। बजट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो राज्य को आय के अन्य स्त्रोतों को संबल प्रदान करेंगे। बजट की विशेषता यह है कि खर्च के साथ-साथ आय पर पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह दूसरा बजट है। जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। खासकर कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं महिलाओं के लिए भी कई प्रकल्प प्रारंभ किये हैं। विकसित छत्तीसगढ़ 2047 दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए 2030 के मध्यकालिक लक्ष्य को भी निर्धारित किया है, एक स्पष्ट रोड-मैप के साथ इस ओर आगे बढ़ रहा है। इस बार बजट की थीम SANKALP है, जो कि जनता-जनार्दन के प्रति प्रतिबद्धता को, निष्ठा को, समर्पण और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। सरकार ने बजट में अधोसंरचना को विशेष स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आज लगभग 47 हजार करोड़ के कार्य हो रहे हैं, जो 2013-14 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ में अनेक बड़े-बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रायपुर-रांची-धनबाद एक्सप्रेस-वे, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे,

खरसिया से परमालकसा रेलवे लाईन, केंदरी में नया कोचिंग टर्मिनल, रायपुर से सारंगढ़-बिलाईगढ़ तक फोरलेन, कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन, डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाईन ले रहे हैं। इस वर्ष लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लगभग 9,450 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

साय सरकार समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक एवं सर्वग्राही होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लक्ष्य न केवल तेजी से विकास करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि विकास की इस दौड़ में समाज का कोई भी वर्ग या प्रदेश का कोई भी अंचल पीछे न रह जाए। छत्तीसगढ़ ने अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 05 हजार करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर, आज 35 गुना बढ़कर 01 लाख 72 हजार करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, किसान, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गये क्षेत्रों का विकास भी है। सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी, विकास-पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें। बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे कर के दिखा रहे हैं। बस्तर शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रहा है। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएँ जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के भी बजट में विशेष

अपनी विकास यात्रा में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किये हैं। 05 हजार करोड़ के बजट से शुरू हुआ यह सफर, आज 35 गुना बढ़कर 01 लाख 72 हजार करोड़ का आकार ले रहा है और इस सफर में राज्य के हर व्यक्ति, गरीब, युवा, किसान, महिला, उद्यमी सबका योगदान रहा है। समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तुलनात्मक रूप से पीछे रह गये क्षेत्रों का विकास भी है। सदैव यह प्रयास किया है कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र भी, विकास-पथ पर मैदानी क्षेत्रों से कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इस बार का बजटः विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष प्रावधानों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में सामाजिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का 40 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 36 प्रतिशत और प्रशासनिक व सामान्य सेवाओं के लिए 24 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। बजट का उद्देश्य किसानों, महिलाओं, युवाओं और कामगारों को सशक्त बनाकर राज्य को विकसित करना है. कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। बजट में सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, जो कुल खर्च का लगभग 40 प्रतिशत है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 36 प्रतिशत और प्रशासनिक सेवाओं के लिए 24 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए 14,300 करोड़ रुपये का विशेष हरित बजट रखा गया है।

प्रावधान किया गया है।

बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर

छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास तथा खुशहाली का रास्ता खेतों से, खलिहानों से, मेड़ों से, नहरों से और तालाबों से होकर किसानों के घर तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में कृषि एक व्यवसाय नहीं बल्कि संस्कृति है, पहचान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। 2025-26 में 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले तीन खरीफ सीजन में 437 लाख मीट्रिक टन धान की ऐतिहासिक खरीदी की है। जिससे किसानों के खाते में लगभग 01 लाख 40 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान संभव हो रहा है। सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि विकास को गति मिलेगी। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रूपए की व्यवस्था कर सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के समर्थन के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र

SANKALP (संकल्प) की अवधारणा

S-समावेशी विकास: यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, किसानों, युवाओं, आदिवासी समुदायों और वंचित समूहों तक पहुँचे।

A-अधोसंरचना: आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु सड़कों, जल संसाधनों, शैक्षिक नगर, स्वास्थ्य सुविधाओं और कनेक्टिविटी सहित भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना।

N-निवेश: औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये निवेश को आकर्षित करना।

K-कुशल मानव संसाधन: भविष्य के लिये तैयार कार्यबल बनाने हेतु कौशल विकास और शिक्षा को प्राथमिकता देना।

A-अंत्योदय: उन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर वर्गों, जिनमें जनजातीय क्षेत्र तथा दूरस्थ क्षेत्र शामिल हैं, का उत्थान करते हैं।

L-आजीविका: कृषि सहायता, MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) विकास, पर्यटन और रोज़गार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी आजीविका में सुधार करना।

P-नीति से परिणाम तक: स्थानीय स्तर पर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और मापने योग्य परिणामों को सुनिश्चित करना।

में कृषि आधारित उद्योग, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रूपए का निवेश किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी। मतनार और देउरगाँव बैराज (2,024 करोड़) जैसी सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पहले अछूते थे। भूमिहीन कृषि परिवारों को सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

नारी शक्ति का उत्थान

छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत 70 लाख माताओं-बहनों को अभी तक 24 किश्तों में, 14 हजार करोड़ से अधिक की राशि सरकार ने जारी की है। बजट में इसके लिए 8,200 करोड़

का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है, उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 05 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं के नाम से संपत्ति क्रय पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बालिकाओं

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): 7,09,553
- कुल प्राप्तियाँ: 1,72,000
- कुल व्यय: 1,72,000
- राजस्व व्यय: 1,45,000
- पूंजीगत व्यय: 26,500
- बजट में पूंजीगत व्यय का अनुपात: 15.4 प्रतिशत
- GSDP में पूंजीगत व्यय का अनुपात: 3.7 प्रतिशत
- राजस्व घाटा: 2,000
- राजकोषीय घाटा: 20,400
- GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा: 2.87 प्रतिशत

के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसक साथ ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी, वहीं उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 250 महतारी सदनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

निवेश का फोकस

छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है, इनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत योगदान है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 रोजगार पर केन्द्रित है तथा विगत वर्ष लगभग 1 हजार उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रमुख योजनाएँ

- कृषक उन्नति योजना: 10,000 करोड़
- महतारी वंदन योजना: 8,200 करोड़
- जल जीवन मिशन: 3,000 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 2,000 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 1,725 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान: 1,500 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 825 करोड़
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 820 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना: 600 करोड़
- समग्र विकास योजना (ग्रामीण विकास): 300 करोड़

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 05 लाख रूपये तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 विकासखण्डों में डायलिसिस केन्द्र तथा 50 विकासखण्डों में जनऔषधि केन्द्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2026-27 में 01 लाख 72 हजार करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 4.2 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 77 हजार करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 66 हजार करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 29 हजार करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 87 हजार 500 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुन प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 72 हजार करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 45 हजार करोड़ एवं पूंजीगत परिव्यय 27 हजार करोड़ है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग एव अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उप योजना मद में 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना मद अंतर्गत 12 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 40 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 24 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इस बार बजट में नवाचार करते हुए, विभागों के बजट में ग्रीन बजटिंग किया गया है तथा बजट के कुल आकार में 14 हजार 300 करोड़ ग्रीन बजट है।

राजकोषीय स्थिति:- वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 28 हजार 900 करोड अनुमानित है। जिसमें केन्द्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेप सहायता ऋण 8 हजार 500 करोड़ शामिल है। राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 20 हजार 400 करोड़ होगा। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां:- 01 लाख 43 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 01 लाख 45 हजार करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2026-27 में कुल 2 हजार करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है।

छत्तीसगढ़ वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राज्य सरकार ने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने पर विशेष फोकस रखा है। किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

छत्तीसगढ़ देश का पॉवर हब है तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अग्रणी बने रहने हेतु निवेश के लिए माकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से एनर्जी समिट का आयोजन किया, जिसमें 03 लाख 50 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने

के लिए 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना

बजट में शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उपचार के दौरान अस्पताल में नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट 2026-27: अन्य प्रमुख घोषणाएं

▶▶ कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर रहेगा।

▶▶ भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान, ताकि उनकी आय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

▶▶ रायपुर में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी।

▶▶ प्रदेश के 05 प्रमुख एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

▶▶ सयानगुड़ी योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा, इसके लिए लगभग 05 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

▶▶ रायपुर में OBC छात्राओं के लिए 200 सीट क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

▶▶ कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रूपए का प्रावधान, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

▶▶ रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल (ग्क्त्त) तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण का प्रावधान किया गया है।

▶▶ 50 लाख रूपए तक के विकास कार्य ग्राम सभा के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय और क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।

▶▶ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ रूपए का प्रावधान, जिससे ग्रामीण सड़कों का विस्तार और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

▶▶ मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का बजट, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाएगा।

▶▶ 05 नई नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 22 करोड़ रूपए का प्रावधान, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी।

▶▶ मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी, इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

▶▶ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रूपए तक कैशलेस इलाज, इसके लिए 1500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

▶▶ नवा रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रूपए, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

▶▶ उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रूपए किया गया, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बदहाल आर्थिक हालात के बीच बजट में सभी को साधने की कोशिश

विजया पाठक

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। साढ़े चार लाख करोड़ से अधिक रूपये के भारी भरकम बजट में सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन बजट में केवल घोषणाएं भर दिख रही है। इन पर राशि कहां से आयेगी और कैसे आयेगी इस पर संशय बरकरार है। यही कारण है कि बजट को विपक्ष ने हास्यापद बताया है। मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। बजट भाषण लंबा था, आंकड़े भारी-भरकम थे और घोषणाओं की चमक ऐसी कि जैसे हर समस्या का समाधान अगले वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से ही मिलने वाला हो। लेकिन ज़मीन पर खड़े आम नागरिक की जेब टटोलिए, तो उसे अभी भी रसीदें ज्यादा और राहत कम ही मिलती है। सरकार ने बजट को विकास का विज़न डॉक्यूमेंट बताया। सड़कों के जाल, निवेश के भव्य सपने, युवाओं के लिए अवसरों की बौछार और किसानों के लिए योजनाओं की नई फसल सब कुछ कागज़ पर सुव्यवस्थित दिखता है। मगर जनता को यह समझ नहीं आता कि हर साल योजनाएँ इतनी नई क्यों होती हैं और पुरानी योजनाएँ अचानक स्मृति-लेख का हिस्सा कैसे बन जाती हैं। घोषणाओं की खेती इतनी लहलहाती है कि असल खेत में खड़े किसान को समर्थन मूल्य और मौसम की मार से राहत के लिए फिर भी संघर्ष करना पड़ता है।

युवाओं के लिए कौशल, स्टार्टअप और रोजगार की बातें सुनने में आकर्षक लगती

हैं। परंतु नौकरी की तलाश में शहर-दर-शहर भटकते डिग्रीधारी युवक से पूछिए तो वह कहेगा कि बजट में अवसरों की संख्या और भर्ती विज्ञापनों की संख्या का अनुपात अभी भी गणित का अनसुलझा सवाल है। कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र खुलते हैं, प्रमाणपत्र मिलते हैं, मगर नियुक्ति पत्र का इंतज़ार अब भी लंबी कतार में खड़ा है। महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणाएँ भी कम नहीं रहीं। सशक्तिकरण के नाम पर सहायता राशि, समूहों को प्रोत्साहन और सुरक्षा के आश्वासन सब कुछ शामिल है। पर सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से हर

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों हैं। भवन बन जाने से शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ती और मशीनें आ जाने से इलाज सुलभ नहीं हो जाता। असली चुनौती व्यवस्था के संचालन और जवाबदेही की है, जिसका जिक्र भाषणों में कम और अनुभवों में अधिक मिलता है।

पात्र महिला तक पहुँचेगा? या फिर आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया में कई लाभार्थी आधे रास्ते में ही थक जाएंगे? सशक्तिकरण का अर्थ केवल राशि वितरण नहीं, बल्कि स्थायी अवसर और संरचनात्मक बदलाव भी होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे प्रश्न अब भी ज्यों के त्यों हैं। भवन बन जाने से शिक्षा की गुणवत्ता स्वतः नहीं बढ़ती और मशीनें आ जाने से इलाज सुलभ नहीं हो जाता। असली चुनौती व्यवस्था के संचालन और जवाबदेही

की है, जिसका जिक्र भाषणों में कम और अनुभवों में अधिक मिलता है।

शहरी विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएँ और आधारभूत संरचना पर खर्च का वादा किया गया है। किंतु छोटे शहरों की टूटी सड़कों, जल निकासी की समस्याओं और अनियमित जलापूर्ति से जूझते नागरिकों को यह समझाना कठिन है कि विकास की गंगा उनके मोहल्ले तक कब पहुँचेगी। राजधानी में चमकते फ्लाई ओवर और जिलों में जाम से जूझती गलियाँ यह विरोधाभास अब भी कायम है। राजकोषीय अनुशासन और संतुलित वित्त प्रबंधन की बात भी जोर-शोर से की गई। लेकिन जनता का सरोकार सरल है महंगाई कम होगी या नहीं? बिजली-पानी के बिल में राहत मिलेगी या नहीं? करों का बोझ घटेगा या नहीं? बजट

राजकोषीय अनुशासन और संतुलित वित्त प्रबंधन की बात भी जोर-शोर से की गई। लेकिन जनता का सरोकार सरल है महंगाई कम होगी या नहीं? बिजली-पानी के बिल में राहत मिलेगी या नहीं? करों का बोझ घटेगा या नहीं? बजट भाषण इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर कम और परोक्ष संकेत अधिक देता है।

भाषण इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर कम और परोक्ष संकेत अधिक देता है। दरअसल, हर बजट उम्मीदों का दस्तावेज़ होता है। सरकार उसे उपलब्धियों का रोडमैप बताती है और विपक्ष उसे वादों की पुनरावृत्ति कहता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। जनता को हाथ में तुरंत कुछ ठोस नहीं दिखता, पर उसे भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य उज्ज्वल है। यही भविष्य हर साल थोड़ा और आगे खिसक जाता है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

किसानों को 01 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे

3000 करोड़ रूपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रूपये

निर्धारित किए गए हैं। किसानों को 337 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जाएगी।

श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान

श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रु पये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया है। इस बजट का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं।

कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट

सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुलभ स्टेडियम बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को सौगात

इस बजट में महिला सशक्तिकरण और नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8,801 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। वहीं लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रु पये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने नारी कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रु पये का बजट प्रावधान किया है।

7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 07 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के विकास के लिए 1,651 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सुधार पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत 21,630 करोड़ रूपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़

मुख्यमंत्री माजरा टोला के तहत 20,900 किलोमीटर सड़क बनाने का स्टेटस दिया गया है। सड़क रिपेयर के लिए रूपये 12,690 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। युवा परिवारों के मेट्रोपॉलिटन एरिया में बढ़ते माइग्रेशन के असर को कम करने के लिए संध्या छाया प्रोग्राम शुरूकिया गया है।

पीएम आवास के लिए 06 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

06 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ का प्रावधान

कृषि वानिकी योजना शुरूकी जाएगी, इससे सरकार आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 06 हजार 151 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 3.60 हजार करोड़

सिंहस्थ आयोजन की तैयारियों के लिए अब तक 13 हजार 851 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ के लिए 03 हजार 60 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे अधोसंरचना, यातायात, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा।

यह ट्रेड डील नहीं बल्कि सरेंडर डील है

रघु ठाकुर

भारत के प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और विपक्ष के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि हम देश को बोफोर्स डील से ट्रेड डील तक लेकर आये हैं। इस कथन के माध्यम से जहां उन्होंने विपक्ष के उपर हमला बोला तथा बोफोर्स सौदे में हुए घोटाले की याद दिलाई वहीं अपने हाल के व्यापारिक समझौते का बचाव भी किया। हमारे देश में अकसर ऐसा होता है कि मीडिया के माध्यम से कारपोरेट वार के हथियार के रूप में आरोप उछाले जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं और आरोप जस के तस बने रहते हैं। 1989 में बोफोर्स तोपों की खरीदी में भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बदली और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, परंतु जो आरोप उन्होंने लगाये थे उनके दोषियों को दंड मिले इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और बाद में तो यहां तक हुआ कि जब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और कारगिल में घुसपैठ हुई थी तो उन घुसपैठियों के मुकाबले के लिए बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया गया और बोफोर्स तोपों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। अब जो नया अमेरिका के साथ समझौता हुआ है उस पर चर्चा जारी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की थी और उसे मीडिया ने मदर ऑफ डील की संज्ञा दी थी। यह स्वाभाविक है कि सरकारें कोई निर्णय करती हैं तो मीडिया का बड़ा हिस्सा उसका प्रचारक बन जाता है। क्योंकि मीडिया घरानों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञापनों की डील होती है और अप्रत्यक्ष तौर पर कारखानों के लाइसेंस, बैंक की कर्ज माफी, आर्थिक नीतियों के

बदलाव आदि की डील होती है जो मीडिया के प्रचार के मुख्य आधार होते हैं।

ईयू की डील के समय कहा गया कि अब भारत 20 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट का हिस्सेदार बन गया है, हालाँकि यह डील अभी अपरिपक्व अवस्था में है। नियम यह है कि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के साथ बातचीत में एक समझ बनी है, अब वे जाकर 6 माह के भीतर ईयू के देशों के साथ संपर्क कर निर्णय करेंगे और अगर इस डील के समर्थन में निर्णय होता है तो उसके क्रियान्वयन की शुरूआत में भी औसतन 4-5 वर्ष लग जाते हैं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी को इनकी सरकार के लिए ऐसे काम करने का अभ्यास है। जब वे 2026 के बजट में 2047 की चर्चा कर सकते हैं तो 5 वर्ष का समय तो कम ही है। कम से कम मतदाताओं के लिए और देश के लिए

ईयू की डील के समय कहा गया कि अब भारत २० लाख करोड़ डॉलर के मार्केट का हिस्सेदार बन गया है, हालाँकि यह डील अभी अपरिपक्व अवस्था में है। नियम यह है कि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के साथ बातचीत में एक समझ बनी है, अब वे जाकर ६ माह के भीतर ईयू के देशों के साथ संपर्क कर निर्णय करेंगे

झुनझुना तो पच्चीस साल का उन्होंने पकड़ा दिया है।

अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ डील के जो समाचार आये हैं अगर वे क्रियान्वित भी हो तब भी उनसे असली भारत की जनता को क्या लाभ होगा? ईयू चाहता है कि भारत के द्वारा कार खरीदी के मामले में उसे सहभागिता मिले, अगर यह फैसला हो भी जाए तो इससे भारत के संपन्न और श्रेष्ठीय वर्ग के अलावा आम लोगों को क्या मिलेगा? आम लोगों को तो केवल धुआं और दुर्घटनाओं की मौत तथा भ्रष्टाचार की बढ़ोत्तरी मिलेगी। भारत के पहले भी ईयू ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान और यूके आदि के साथ ट्रेड डील की है, यूरोपीयन यूनियन की भी यह सफलता है। प्रचार तो यहां तक किया गया कि इस तथाकथित मदर ऑफ डील से जियो पॉलिटिक्स बदलेगी और लोकतांत्रिक आर्थिक शक्तियों के बीच एक रणनीतिक विश्वास उभरेगा। यानि ये डील अमेरिका और चीन के दो धुरवों के बीच में एक

तीसरा ध्रुव बनेगी। हालांकि इतना अतिविश्वास यूरोपियन यूनियन को भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन के बचाव के लिए रूस से लड़ना पड़ रहा है और वह अभी तक उसमें सफल नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन के बारे में रूस ने यह कहा कि कुछ दिनों बाद ये सब अमेरिका के सामने घुटने के बल बैठे नजर आयेंगे और अमेरिका ने भी ईयू और भारत के डील के लिए कोई विशेष तरजीह नहीं दी। अमेरिका यह जानता है कि यूनियन के देश उससे अलग होकर बहुत दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकेंगे। अगर यह मदर ऑफ डील इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की क्या आवशकता थी? ईयू की डील ही पर्याप्त हो जाती। दरअसल ईयू की डील केवल प्रचारात्मक है क्योकि ईयू के देशों के पास भारत के समानों को बहुत अधिक खरीदने की ना तो जरूरत है और ना क्षमता है। अमेरिका का बाजार अभी तक भारत के लिए मुफीद था, क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका से 9 लाख करोड़ का सामान निर्यात करता था और 4.5 लाख करोड़ का सामान आयात करता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के होने वाले घाटे के एक हिस्से की पूर्ति इस तरीके से होती थी। दूसरे पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से फिलहाल अमेरिका को एक विश्व शक्तिके रूप में देखना शुरू किया है और अपने सारे मनमानीपन, विदूषक तरीकों के बावजूद भी ट्रम्प अमेरिका की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। वे एक साथ घर पर व बाहर दोनों मोर्चों पर बगैर अपने विचार को छिपाये खुलेआम लड़ रहे हैं, यह उनका अवगुण भी

अमेरिका का बाजार अभी तक भारत के लिए मुफीद था, क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका से 9 लाख करोड़ का सामान निर्यात करता था और 4.5 लाख करोड़ का सामान आयात करता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के होने वाले घाटे के एक हिस्से की पूर्ति इस तरीके से होती थी। दूसरे पिछले कुछ महीनों की घटनाओं से फिलहाल अमेरिका को एक विश्व शक्तिके रूप में देखना शुरू किया है और अपने सारे मनमानीपन, विदूषक तरीकों के बावजूद भी ट्रम्प अमेरिका की शक्ति का एहसास करा रहे हैं।

है और गुण भी है।

अब भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, इससे भारत का रोता हुआ बाजार निफ्टी और सेंसेक्स जो पिछले कुछ दिनों से दहाड़ मार कर रो रहे थे, अब कह कहा कर हंस रहें हैं। याने वे जानते हैं कि, बाजार और कारपोरेट शक्तियों का लाभ अंततः अमेरिका के साथ समझौते में है। अमेरिका ने रूस के तेल खरीदी के नाम पर लगाये गए 25 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इससे भारत के निर्यात को जो पिछले माह से कमजोर अवस्था में था, अब फिर मौका मिला है। दरअसल एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका जिन सामानों को भारत से खरीदता है वे कोई बुनियादी जरूरतों की चीजें नहीं हैं। जेवर, जेम्स, छोटो मोटी मशीन, दवा का रसायन आदि ऐसे ही सामान हैं जिनके बगैर अमेरिका का काम चल सकता है। अमेरिका इन सामानों को अन्य देशों से भी आयात कर सकता है।

गुजरात के व्यापारियों का बड़ा हिस्सा और उनके परिवारजन अमेरिका में रहते हैं और उनका भी मोदी पर दबाब था कि जैसे भी हो अमेरिका के साथ रिश्ते बहाल किए जाएं। इससे मोदी सरकार को फिलहाल अपनी सरकार बचाने में भी फायदा हुआ और आगामी गुजरात चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। हालाँकि व्यापार के क्षेत्र में यह बहुत मुनाफेमंद साबित नहीं होगा। अमेरिका भारत से सी फूड और विशेषतः झींगा खरीदेगा। दरअसल अमेरिका भारत से कुछ सामान इसलिए खरीदता है ताकि भारत को कुछ बाजार मिले और भारत उसका नीतिगत पिछलग्गू बना रहे। इसमें अमेरिका सफल भी हुआ है। पिछले कई माह से कहे अनकहे डोनाल्ड ट्रम्प को चुनौती देने वाले प्रधानमंत्री ने इस डील के बाद विनम्रता का बयान दिया है कि देश की 140 करोड़ आबादी आपकी आभारी है। यह बयान ही अपने आप में भारत की स्थिति को बताने के लिए पर्याप्त है। यानि प्रधानमंत्री ने माना है कि अमेरिका के साथ हुआ समझौता भारत की लगभग डेढ़ अरब आबादी के लिए हितकर है और इसलिए पूरा देश आभारी है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे और यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि भारत वेनेजुअला के माध्यम से अमेरिकी प्रभाव का तेल खरीदेगा तथा कहे अनकहे रूस से खरीददारी कम होगी। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को बचाने के लिए रूस की आर्थिक और सामरिक क्षमता कम करना चाहता है और इसमें वह सफल हुआ है। अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने कहा है कि ट्रेड डील से अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात भारत के बाजार में बढ़ेगा जिससे 113 करोड़ डॉलर यानि लगभग 11000 करोड़ रूपये का भारत से व्यापार घाटा कम होगा और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि और डेयरी सेक्टर हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। यह बयान द्विअर्थीय है, एक तो इस रूप में कि यह नहीं कहा गया कि कृषि उत्पाद को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, बल्कि इतना ही कहा गया है कि कृषि और डेयरी के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ। इससे इतना तो अर्थ स्पष्ट है कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के भारत में आने के लिए सहमति बनी है। अब उसकी सीमा क्या होगी, कितने में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हित होंगे, यह पीयूष गोयल ही समझ सकते हैं और अमेरिका अपने व्यापार घाटे को किस सीमा तक कम करेगा, यह खुलासा बकाया है। स्वाभाविक है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश से समझौता करता है तो वह अपना भी हित सुरक्षित रखता है। दरअसल, पिछले आठ महीनों से जो भारत और दुनिया के पटल पर ट्रंप और मोदी का ड्रामा चल रहा था इसका एक ही अर्थ और एक ही लक्ष्य था। मैंने आज से लगभग तीस वर्ष पहले अपनी पुस्तक आर्थिक उदारीकरण और भारत में लिखा था कि डब्ल्यूटीओ का समझौता कोई साल दो साल का नहीं है, बल्कि एक ऐसी लंबी दूरी का है जो सदी तक भी पहुंच सकता है। इस समझौते में ही भारत के कृषि के क्षेत्र को खोले जाने की

कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुई भारत की डील का विरोध किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यह डील भारत के हित में नहीं है।

बात थी। वैसे भी, भारत अनेक दुग्ध उत्पादक सामग्रियों को अनेकों देशों से आयात करता रहा है। क्या हमने दूध पाउडर डेनमार्क से आयात नहीं किया था? इतना ही है कि बस पहले किसी छोटे देश से छोटे-मोटे आयात होते थे। अब अमेरिका से बड़े पैमाने पर कृषि आयात होगा जिसमें कपास, सोयाबीन तेल, बीन्स आदि आदि उत्पाद शामिल होंगे। फिर भारत की ओर से अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों की पूर्ति का हवाला दिया जाएगा और भारतीय कृषि इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। विपुल अनुदान प्राप्त अमेरिका में पैदा किया गया गेहूँ भारत खायेगा और भारत में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। भारत का सामान्य किसान बर्बाद होगा तथा 85 करोड़ मुफ्त अनाज पाने वाले सरकार की जय जयकार करेंगे। अमेरिका अपने आर्थिक हितों में सफल होगा और भारत की सरकार वोट की खेती में सफल होगी। अमेरिकी कपास को तो भारत सरकार ने

अमेरिका के साथ हुई डील में यह भी तय हुआ कि जहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ को कम कर रहा है वहीं भारत भी अमेरिका १०० करोड़ डॉलर का अमेरिका से प्रतिवर्ष आयात से टैरिफ हटाएगा तथा पांच वर्ष में पांच सौ करोड़ के व्यापार को टैक्स अमेरिकी डॉलर मुक्त करेगा। सच्चाई तो यह है कि ये ट्रेड डील नहीं है, बल्कि सरेंडर है। यह व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत का समर्पण है।

कपास की फसल आने के पहले ही आयात की अनुमति दे दी थी। यह हमारे देश के विपक्ष के बौद्धिक दिवालियापन का भी प्रतीक है कि जब घटनायें होती हैं, तब वे अज्ञानता या अपने अतीत के अपराधों के दबाव में चुप रहते हैं और जब वे बीज विराट-वृक्ष बन जाते हैं तब प्रतिपक्ष थोड़ा बहुत हल्ला मचाकर चुप हो जाता है। अगर प्रतिपक्ष भी ईमानदार है तो उसे ये घोषणा करनी चाहिए कि अगर प्रतिपक्ष की सरकार आएगी तो डब्ल्यूटीओ के समझौते से बाहर निकलेंगे, जो कि बचाव का वास्तविक रास्ता है। अमेरिका के साथ हुई डील में यह भी तय हुआ कि जहां एक तरफ अमेरिका टैरिफ को कम कर रहा है वहीं भारत भी अमेरिका 100 करोड़ डॉलर का अमेरिका से प्रतिवर्ष आयात से टैरिफ हटाएगा तथा पांच वर्ष में पांच सौ करोड़ के व्यापार को टैक्स अमेरिकी डॉलर मुक्त करेगा। सच्चाई तो यह है कि ये ट्रेड डील नहीं है, बल्कि सरेंडर है। यह व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत का समर्पण है। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि खाड़ी देश परिषद के छह देशों से मुक्त व्यापार की बात हो रही है। इस व्यापार से भारत कुछ राहत तो पाएगा, परंतु अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के सपने को दूर तक लेकर नहीं जा पाएगा।

लोकलुभावन योजनाओं पर शीर्ष न्यायालय के सवाल

प्रमोद भार्गव

चुनावों के ठीक पहले राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपहारों और सब्सिडी की कड़ी में शीर्ष न्यायालय ने सरकार से पुछा कि यह संस्कृति कब तक जारी रहेगी? इससे देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतएव राज्यों को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए न कि सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, मुफ्त आनाज, मुफ्त साइकिल और मुफ्त बिजली-पानी देने चाहिए? दरअसल इसी साल तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए मतदाता को लालच देते हुए तमिलनाडु सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के विरु द्ध तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने उक्त टिप्पणी की है। यह स्थिति तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में बनी हुई है। लोक लुभावन उपायों को राजनीतिक दलों और नेताओं ने चुनाव जीतने का मंत्र मान लिया है। इसी मंत्र के वशीभूत स्त्री मतदाताओं को लुभाने के लिए लाड़ली बहना जैसी योजनाएं मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का मंत्र बनी हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान के सभी साधन उपलब्ध हैं, मुफ्त योजनाओं का लाभ वे भी बटोरने में लगे हैं। गरीबी रेखा से उपर जीने वाले लोगों को लाभ देने से वंचित सरकारें इसलिए करना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे में मतदाता की नाराजी जीतने की गारंटी नहीं रह जाएगी। मतदाता को परजीवी बनाकर राज्य सरकारें लोगों को पराश्रित और खुद को खोखला करने में लगी हैं।

निर्वाचन लोक-पर्व के अवसर पर मुफ्त में तोहफे बांटे जाने की घोषणाएं सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर करते हैं। हालांकि निर्वाचन के बाद कुछ वादों को छोड़कर ज्यादातर वादे फरेब साबित होते हैं। बावजूद मतदाता को इस प्रलोभन में लुभाकर राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपना स्वार्थ साधने में सफल हो जाते हैं। परंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने इन चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने पर गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुफ्त के इन उपाहरों पर लगातार चिंता जताते रहे हैं। परंतु भाजपा भी चुनावों में रेवड़ियां बांटने के वादों से पीछे नहीं रही। लोकसभा चुनाव के

बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत के कारणों में इन वादों की भी अहम् भूमिका रही है। इन मुफ्त के उपहारों पर रोक इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन लोक-लुभाव वादों के दो तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। एक तो ये मतदाताओं के निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित करते हैं और दूसरे, इन्हें पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब चुनाव नीतियों और कार्यक्रम की बजाय प्रलोभनों का फंडा उछालकर लड़े जाने लगे हैं। राजनेताओं की दानवीर कर्ण की यह भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रही है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतदाता को बरगलाना आदर्श चुनाव संहिता को ठेंगा दिखाने जैसा है। सही मायनों में वादों की घूस से निर्वाचन प्रक्रिया प्रदूषित होती है, इसलिए इस घूसखोरी को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाना जरूरी है। वैसे भी इन वादों की हकीकत जमीन पर उतरी होती

इन मुफ्त के उपहारों पर रोक इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन लोक-लुभाव वादों के दो तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। एक तो ये मतदाताओं के निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित करते हैं और दूसरे, इन्हें पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

तो देश में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते? पंजाब में किसान कल्याण के सबसे ज्यादा वादे अकाली दल ने सरकार ने किए थे, लेकिन पंजाब से लगातार किसान आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। अफलातूनी वादों के उलट हकीकत में अब ज्यादा जरूरत शासन-प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की है। यह वादा ज्यादातर राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्र से हमेशा गायब रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक समय जरूर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की राह पर चली थी, लेकिन अपने तीसरे कार्यकाल में शराब नीति में घोटाले और शीश महल जैसे राजसी वैभव में डूब गई। आप ने बिजली दरें 50 फीसदी कम करने और हर परिवार को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त मुहैया कराने के बुनियादी वादों के साथ चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में आर्थिक स्थिति की बद्हाली और भृष्टाचार अरविंद केजरीवाल की हार के प्रमुख कारण बने।

देश में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने निर्धन परिवारों को मुफ्त में एक बत्ती कनेक्शन देने के वादे के साथ यह शु:आत आठवें दशक में की थी। तमिलनाडू की मुख्यमंत्री रहीं जयललिता ने तो चुनावी वादों का इतना बड़ा पिटारा खोल दिया था कि यह मामला जनहित याचिका के जरिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। इस याचिका में अन्नाद्रमुक की चुनावी घोषणा को भ्रष्ट आचरण मानते हुए असंवैधानिक ठहराने की मांग की गयी थी, लेकिन न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी। उस समय न्यायालय ने दलील दी थी कि घोषणा-पत्रों में दर्ज प्रलोभनों को भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। चुनाव का

नियमन जनप्रतिनिधित्व कानून के जरिए होता है और उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत इसे गैरकानूनी या भ्रष्ट कदाचरण ठहराया जा सके। न्यायालय ने लाचारगी प्रकट करते हुए कहा था कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लिहाजा इस मसले पर विचार कर कारगर निर्णय लेने का कोई कदम विधायिका ही उठा सकती है। अलबत्ता अदालत ने निर्वाचन आयोग को जरूर निर्देश दिया था कि वह चुनावी घोषणा-पत्रों को मर्यादित करने की दृश्टि से अतिवादी व लोक-लुभावन घोशणाओं को रेखांकित करे, जिससे आदर्श चुनाव संहिता का पालन हो सके।

इस परिप्रेक्ष्य में दुविधा यह है कि राजनीतिक दलों पर आयोग का अनुशासनात्मक नियंत्रण निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद होता है, जबकि ज्यादातर घोशणा-पत्र इस अधिसूचना के पहले जारी हो जाते हैं और कई वादे तो नेता चुनावी आमसभाओं में आचार संहिता का मखौल उड़ाते हुए भी कर डालते हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक मुस्लिम और सवर्ण ब्राह्मणों तक को आरक्षण देने का वादे किए जाते रहे हैं। जिस पर भी विडंबना है कि आदर्श निर्वाचन संहिता के तहत न तो कोई दंडात्मक कानून है और न ही इसकी संहिताओं में वैध-अवैध की अवधारणाएं परिभाषित हैं। आयोग यदि संहिता को लागू कर पाता है तो इसलिए कि राजनीतिक दल उसका सहयोग करते हैं और जनमत की भावना आयोग के पक्ष में होती है। तय है दल यदि आयोग के साथ असहयोग करने लग जाएं तो आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाएगा। वैसे भी आयोग की जवाबदेही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, न कि दलों के चुनावी मुद्दे तय करने की? बावजूद आयोग मामले संज्ञान में लेता है और उम्मीदवार को चेतावनी भी देता रहता है। लेकिन उम्मीदवार जानते हैं

कि उनकी उम्मीदवारी को तत्काल खारिज करने का कोई अधिकार आयोग के पास नहीं है, इसलिए वे बेपरवाह रहते हैं।

इन विरोधाभासी हालातों से शीर्ष न्यायालय परिचित है। इसलिए वह मुफ्त की घोषणाओं पर टिप्पणी कर शांत रह जाती है। दरअसल ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर कानून बनाने का अधिकार विधायिका को ही है। यहां विडंबना है कि विधायिका और दल अंततः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रलोभन के जिन वादों के मार्फत मतदाता को बरगलाकर दल सत्ता के अधिकारी हुए हैं, उन वादों को घोषणा-पत्र में नहीं रखने का कानून बनाकर अपने ही हाथों, पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की गलती क्यों करेंगे ? यहां सवाल यह भी उठता है कि दल जो घोषणा करते हैं उनका लाभ वर्ग-भेद के बिना जरूरतमंदों को मिलता है। फिर चाहे वह छात्रवृत्ति हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो अथवा टीवी? मुफ्त बिजली हो, लाडली बहनों को नगद धनराशि देना या सस्ता राशन, इसमें कोई जातीय या धार्मिक भेद नहीं किया जाता। बीपीएल की सूची में आने वाले सभी जरूरतमंद इनके हकदार होते हैं। ऐसी स्थिति में मुफ्त उपहारों को विभाजित करना एक जटिल प्रक्रिया है। हां, जातीय तथा अल्पसंख्यक के आधार पर आरक्षण की घोषणा की जाती है तो इस स्थिति को जातीय अथवा सांप्रदायिक भेद की स्थिति माना जा सकता है? 81 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज देने की सुविधा को भरे पेट वाले गुलछर्रे उड़ा रहे लोग सरकारी धन का दुरु पयोग मानते हैं, जबकि एक कल्याणकारी राज्य के वंचित तबके के लिए ये सुविधाएं अनिवार्य जरूरत भी हैं। ऐसे में इन्हें एकाएक घूस या लालच नहीं कहा जा सकता? अलबत्ता यह तथ्य जरूर सही है कि प्रलोभन मतदाता की नीयत को प्रभावित करता है और वह व्यापक सामाजिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने को मजबूर हो जाता है। जाहिर है, यह एक गंभीर मसला है और न्यायालय इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ऐसा हल जरूर निकले, जो सर्वमान्य होने के साथ लोक कल्याणकारी साबित होने के साथ, रोजगार देने का साधन बने?

भारत में स्कूली बच्चों की सुरक्षा-शिक्षा से आगे बढ़कर जीवन की रक्षा का राष्ट्रीय और वैश्विक दायित्व

किशन भावनानी

भारत 142 करोड़ से अधिक आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इतनी विशाल जनसंख्या में करोड़ों बच्चे प्रतिदिन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। स्कूल केवल ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक विकास और भविष्य की नींव का आधार होते हैं। ऐसे में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जैसी दर्दनाक घटना हो या अन्य राज्यों में स्कूल परिसरों में हुई दुर्घटनाएँ,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब केवल शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की समग्र व्यवस्था पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी सभ्य समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड उसके विद्यालयों की स्थिति और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा से निर्धारित होता है। विद्यालय केवल ज्ञान अर्जन का केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं। यदि यह प्रयोगशाला ही असुरक्षित हो जाए तो राष्ट्र की नींव कमजोर हो जाती है। हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न

हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जैसी दर्दनाक घटना हो या अन्य राज्यों में स्कूल परिसरों में हुई दुर्घटनाएँ,यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब केवल शिक्षा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सुरक्षा की समग्र व्यवस्था पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक लागू करने की आवश्यकता है।

राज्यों से सामने आई घटनाएँ चाहे वह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की चौंकाने वाली घटना हो या अनेक राज्यों से जर्जर स्कूल भवनों के गिरने की खबरें, यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि अब समय आ गया है जब स्कूल सुरक्षा को शिक्षा नीति के पूरक तत्व के रूप में नहीं, बल्कि उसके मूल स्तंभ के स्प में स्थापित किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चर्चा तब तक अधूरी है जब

तक बच्चों का जीवन और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित न हो।

अगर हम छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में हाल में हुई घटना को समझने की बात करें तो, धमतरी जिले के कुरू द स्थित एक सरकारी स्कूल में 7वीं-8वीं कक्षा के 35 बच्चों द्वारा ब्लेड से अपनी कलाई काटने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना केवल अनुशासन या प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है,बल्कि यह बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, स्कूल वातावरण और सामाजिक संवाद की कमी की गंभीर चेतावनी है। जब काउंसलिंग में यह सामने आया कि बच्चों ने देखा-देखी में यह कदम उठाया, तो यह स्पष्ट हो गया कि किशोरावस्था में सामूहिक प्रभाव और आकर्षण की प्रवृत्ति कितनी तीव्र होती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है? क्या बच्चों को अपनी भावनाएँ व्यक्तकरने का सुरक्षित मंच मिल रहा है? क्या शिक्षक और अभिभावक उनके व्यवहार में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को समझ पा रहे हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है,तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं को पुनः संतुलित करना होगा।

अगर हम हाईकोर्ट द्वारा चिंता व्यक्त करने की बात करें तो, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार के बजट को उंट के मुंह में जीरा बताया। यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं दर्शाती, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में स्कूल भवनों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। जब भवनों की छतें कमजोर हों, दीवारों में दरारें हों, विद्युत तार खुले हों और शौचालय अनुपयोगी हों, तब बच्चों की सुरक्षा स्वतः खतरे में पड़ जाती है। बजट आवंटन और वास्तविक आवश्यकता के बीच की खाई को पाटना सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मरम्मत, पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सटीक जीवन रक्षा का कार्य है। बात अगर

हम इस मुद्दे को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो, विकसित देशों में भी स्कूल सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तकनीकी और आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र में भी विद्यालयों में गोलीबारी की घटनाएँ समय-समय पर होती रही हैं। 2022 में टेक्सास के उवाल्डे स्थित रोब्ब एलिमेंटरी स्कूल में हुई गोलीबारी ने पूरी दुनियाँ को स्तब्ध कर दिया था। इससे पहले 1999 में कोलोराडो के कॉलम्बीने हाई स्कूल में हुई घटना ने स्कूल सुरक्षा पर वैश्विक बहस को जन्म दिया। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आर्थिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं हैं। सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, निगरानी, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग की निरंतर आवश्यकता होती है। भारत को इन अनुभवों से सीख लेकर अपने विद्यालयों के लिए बहु-स्तरीय अति महत्वपूर्ण सुरक्षा मॉडल विकसित करना चाहिए। बात अगर हम भारत में शिक्षा का संचालन मुख्यतः राज्यों के अधीन है, इसको समझने की करें तो राष्ट्रीय स्तरपर नीति निर्माण में मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन की केंद्रीय भूमिका है। नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 ने शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और नवाचार पर जोर दिया है, परंतु सुरक्षा को एक स्वतंत्र और अनिवार्य स्तंभ के रूप में संस्थागत रूप से स्थापित करने की आवश्यकता अभी शेष है। स्कूल सुरक्षा नीति को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसमें भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत मानक, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सीसीटीवी निगरानी, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल हों। प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य स्कूल सेफ्टी ऑडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए,जिसका वार्षिक नवीनीकरण हो और जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। जिला स्तर पर कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। यदि वे नियमित औचक निरीक्षण करें तो जमीनी स्तर की सच्चाई सामने आ सकती है। औचक निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता, अग्निशामक यंत्रों की सर्विसिंग, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, आपातकालीन निकास मार्गों की उपलब्धता और खेल मैदानों की सुरक्षा का वास्तविक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। कई बार स्कूलों में उपकरण तो लगे होते हैं, परंतु वे

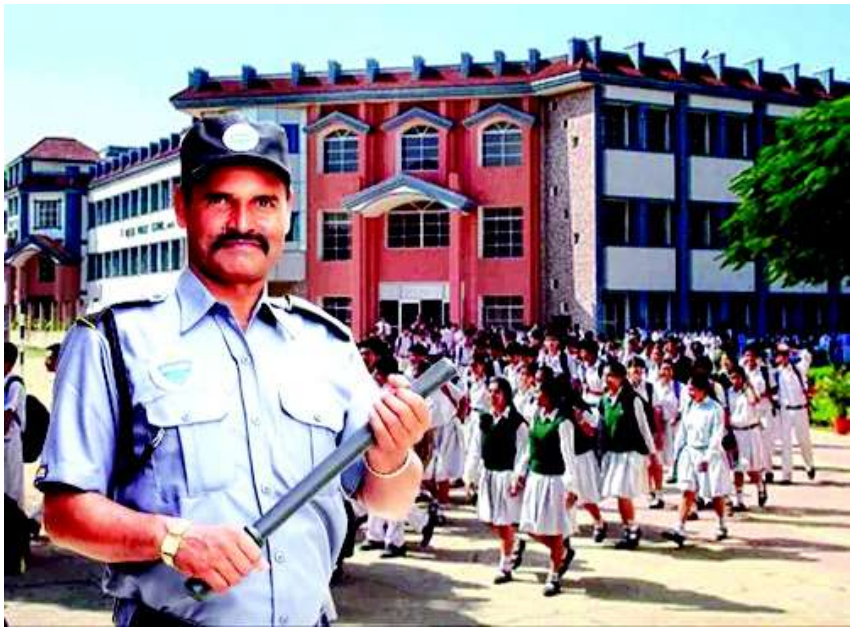

निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर केवल कागजी प्रमाण किसी बच्चे का जीवन नहीं बचा सकते। इसलिए निरीक्षण प्रणाली को परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। बात अगर हम ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की स्थिति को समझने की करें तो यह विशेष चिंता का विषय है। कई स्कूल अस्थायी भवनों में संचालित होते हैं या दशकों पुराने ढाँचों में चल रहे हैं। वर्षा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये भवन अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं। राज्य सरकारों को वार्षिक स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य करना चाहिए और जर्जर भवनों को तुरंत उपयोग से बाहर कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी समान मानक लागू होने चाहिए। यदि कोई निजी संस्था सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई जुर्माना, मान्यता निलंबन या निरस्तीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। भौतिक संरचना के अतिरिक्त मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धमतरी की घटना ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की अनदेखी गंभीर परिणाम दे सकती है। विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त किए जाने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में बाल संरक्षण समिति का गठन हो और शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता तथा बाल अधिकारों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। बुलिंग, शारीरिक दंड और लैंगिक उत्पीड़न के मामलों के लिए स्पष्ट शिकायत तंत्र हो।

बच्चों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विश्वास ही सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है।

बात अगर हम स्कूल परिवहन भी सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है इसको समझने की करें तो, ओवरलोडेड बसें, अप्रशिक्षित चालक और फिटनेस प्रमाणपत्र की अनदेखी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त निरीक्षण अभियान अनिवार्य होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में

जीपीएस प्रणाली, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र और प्रशिक्षित परिचारक होना चाहिए। बस चालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पृष्ठभूमि सत्यापन भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की पूरी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए,सामाजिक भागीदारी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बना सकती है। अभिभावक-शिक्षक संघ को केवल परीक्षा परिणाम या शुल्क संरचना तक सीमित न रखकर सुरक्षा समीक्षा में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस, प्रशासन और समुदाय के बीच समन्वय सेसंदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई संभव है। स्कूल सेफ्टी कम्युनिटी नेटवर्क जैसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जहाँ समुदाय स्वयं निगरानी में सहयोग करे।डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों को सुरक्षा रिपोर्ट और निरीक्षण निष्कर्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

बात अगर हम स्कूल सुरक्षा को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी के रू प में देखना पर्याप्त नहीं है। इसको समझने की करें तो यह एक सामाजिक अनुबंध है जिसमें सरकार, शिक्षक,अभिभावक और समुदाय सभी सहभागी हैं। यदि किसी एक कड़ी में कमजोरी आती है तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और निगरानी तक हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर स्कूलों की सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठकें लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करें, और आकस्मिक निरीक्षण करें, तो प्रशासनिक तंत्र में गंभीरता स्वतः आ जाती है। जब शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील और सक्रिय होता है, तो निचले स्तर पर भी जवाबदेही बढ़ती है। बच्चों की सुरक्षा केवल शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का भी समन्वित उत्तरदायित्व है। बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने स्कूल सुरक्षा को बहु-आयामी दृष्टिकोण से अपनाया है। आपदा प्रबंधन अभ्यास, नियमित मॉक ड्रिल, मनो वैज्ञानिक सहायता कार्यक्रम और सामुदायिक जागरू कता अभियान को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। भूकंप, आग या अन्य आपात स्थितियों के लिए छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि संकट की घड़ी में घबराहट के बजाय संगठित प्रतिक्रिया हो। बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व है। जिस राष्ट्र में बच्चे सुरक्षित नहीं, वहाँ विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी है। धमतरी जैसी घटनाएँ चेतावनी हैं कि हमें शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत नीतियाँ बनाकर और उनका कठोर क्रियान्वयन सुनिश्चित करके ही हम अपने विद्यालयों को वास्तविक अर्थों में सुरक्षित बना सकते हैं।जब प्रत्येक अभिभावक यह विश्वास कर सके कि उसका बच्चा विद्यालय में सुरक्षित है, तभी शिक्षा व्यवस्था पर समाज का भरोसा पूर्ण रूप से स्थापित होगा। यही विश्वास राष्ट्र की प्रगति की सबसे सुदृढ़ आधारशिला है।

ट्रंप ने विश्व में मचाई तबाही

ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में मची उथल-पुथल

विजया पाठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। जब से वह राष्ट्रपति बने हैं तबसे पूरे विश्व में उथल-पुथल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरूआत के साथ ही अमेरिका फर्स्ट' नीति ने वैश्विक व्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है। हाल ही में ईरान पर हुए हमले ने तो ट्रंप की दादागिरी उजागर हो गई है। ट्रंप अपनी दादागिरी पूरे विश्व में थोपना चाहते हैं। खासकर छोटे देशों पर तो अनुचित कार्यवाही से नहीं चूक रहे हैं।

ईरान पर हुए हमले ने तो ट्रंप की दादागिरी उजागर हो गई है। ट्रंप अपनी दादागिरी पूरे विश्व में थोपना चाहते हैं। खासकर छोटे देशों पर तो अनुचित कार्यवाही से नहीं चूक रहे हैं।

अपने हितों को साधने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। ईरान के खिलाफ चल रहा मौजूदा अभियान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे आक्रामक और जोखिम भरी कार्रवाई मानी जा रही है। उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इसका खुला उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना है। यह फैसला उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी और बिना लंबी सार्वजनिक बहस के लिया। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के बाद पहली

बार मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा हुआ। 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। बाद में बराक ओबामा ने ड्रोन हमले किए। लेकिन ये अभियान पहले से मंजूर या चल रहे युद्ध क्षेत्रों तक सीमित थे। इसके उलट ट्रंप ने नए मोर्चे खोले। उन्होंने क्रिसमस के दिन नाइजीरिया में हमला कराया, कैरिबियाई इलाके में ड्रग तस्करी करने वाली नावों को डुबोया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को

ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाने की इच्छा व्यक्तकी थी। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, पनामा नहर और गाजा पट्टी को भी अपने देश में मिलाने या उन पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया है। 12 महीने में 7 देशों पर किया हमला, अब 8वीं की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकॉर्ड

सैन्य हमले कराए हों, जितने डोनाल्ड ट्रंप ने किए। उन्होंने सात अलग-अलग देशों पर कार्रवाई की। इनमें से तीन देश ईरान, नाइजीरिया और वेनेजुएला ऐसे थे, जहां इससे पहले अमेरिका ने कभी सैन्य हमला नहीं किया था। साल 2025 में ट्रंप ने जितने हवाई हमलों को मंजूरी दी, उतने चार साल में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी नहीं दिए थे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि

कराकस से पकड़ लिया। ट्रंप की रणनीति साफ है। जमीनी सैनिक नहीं भेजना, लंबे समय तक किसी देश में फंसे नहीं रहना, और बहुत कम समय में भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना। इसे वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए जरूरी बताते हैं। सनकी ट्रंप ने सभी के लिए हालात बेकाबू कर दिये हैं। अपनी रणनीतियों को थोपकर वह जताना चाहता है कि अमेरिका ही सबसे ताकतवर है।

बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। खुद को युद्ध विरोधी बताने वाले ट्रंप ने ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल में सात देशों पर सैन्य कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाया, 2025 में एयर स्ट्राइक के मामले में वे बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल से भी आगे रहे। आधुनिक अमेरिकी इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति ने उतने देशों पर

वह ऐसे परमाणु हथियार बना रहा है जो अमेरिकी सहयोगियों के लिए ख़तरा हैं और जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं

यह मामला इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप ने खुद को चुनाव के दौरान युद्ध विरोधी नेता के तौर पर पेश किया था। उनका कहना था कि वे अमेरिका को नए युद्धों में नहीं उलझाएंगे। अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद हैं। ईरान पर हमले को गलत और घिनौना बताया है। दिलचस्प

बात यह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 2023 में एक आर्टिकल में कहा था कि ट्रंप की सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धि यह थी कि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि बातचीत की कोशिशें असफल रहीं, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू किया गया यह युद्ध अमेरिकी जानों की कीमत के लायक है। यह बहस ट्रंप के पूरे कार्यकाल में जारी रहने की संभावना है।

आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व में व्यापारिक, आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। जो देश युद्ध भी नहीं लड़ रहे वह भी इसकी चपेट में आ गये हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यह भी है कि किसी को पता नहीं है कि यह युद्ध और कब तक चलेगा।

आर्थिक और व्यापार युद्धः ट्रंप के प्रशासन ने सहयोगियों और विरोधियों दोनों पर सीमा शुल्क लगा दिया है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने नाटो और अन्य सुरक्षा गठबंधनों के प्रति प्रतिबद्धता को कम किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा संरचना कमजोर हो रही है।

युद्ध का भारत पर प्रभाव

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध भारत के लिए मुसीबत लेकर आया है। यही कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बयान नहीं आया है। संबंधों की बात करें तो इजराइल और ईरान से भारत के संबंध बेहतर हैं। अमेरिका से भले ही कुछ तनातनी चल रही है। लेकिन यहां एक बात जरूर गौर करने वाली है कि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है। हर मुसीबत में ईरान का साथ दिया है। आज जब ईरान मुसीबत में है तो भारत न्यूट्रल की स्थिति में है। वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की हत्या कर दी गई है। ईरान युद्ध में जल रहा है। भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहां विपक्ष इस मामले पर मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जहां तक व्यापारिक हितों की बात करें तो अभी भले ही असर नहीं हो रहा है लेकिन युद्ध और आगे चलने से भारत की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली हैं। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि मोदी अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गये हैं। भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है जहाँ एक ओर रक्षा और तकनीक में बेहतर रिश्तों की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर व्यापार समझौते में चुनौतियाँ और अमेरिकी दबाव का जोखिम बना हुआ है। ट्रंप के आने से पारंपरिक वैश्विक व्यवस्था चरमरा रही है। यह दौर अपेक्षा से कहीं अधिक उथल-पुथल का है, जहाँ पुरानी सुरक्षा गारंटी कमजोर हो रही है और देशों को अपने बलबूते पर नई रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि वह न तो युद्ध के पक्ष में दिखाई दे रहा है और न ही विरोध में।

मोदी की चुप्पी के क्या मायने?: राहुल गांधी पहले भी विदेश नीति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से भारत की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस कमजोर हो रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सपोर्ट किया और कहा कि सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए।

घोषणा : प्रारूप चार : नियम आठ

1. प्रकाशन का स्थान	**- भोपाल**
2. प्रकाशन की अवधि	**- मासिक**
3. मुद्रक का नाम	**- जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल**
4. प्रकाशक का नाम	**- विजया पाठक**
5. क्या आप भारत के नागरिक है	**- हाँ (भारतीय)**
6. संपादक का नाम	**- विजया पाठक, भारतीय**
7. पत्र के स्वामी का नाम व पता	**- विजया पाठक एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल**

मै विजया पाठक यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान ओर विश्वास के आधार पर पूर्णतः सत्य है।

1 मार्च 2026

विजया पाठक
प्रकाशक

तूफानों की ओर घुमा दो

तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।

आज सिंधु ने विष उगल है।
लहरों का यौंवन मचला है।
आज हृदय में और सिंधु में।
साथ उठा है ज्वार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।

लहरों के स्वर में कुछ बोलो।
इस अंधड़ में साहस तोलो।
कभी कभी मिलता जीवन में।
तूफानों का प्यार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।

यह असीम निज सीमा जाने।
सागर भी तो यह पहचाने।
मिट्टी के पुतले मानव ने।
कभी न मानी हार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।

सागर की अपनी क्षमता है।
पर मांझी भी कब थकता है।
जब तक सांसों में स्पंदन है।
उसका हाथ नहीं रूकता है।
इसके ही बल पर कर डाले।
सातों सागर पार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।

शिव मंगल सुमन

पथ भूल न जाना पथिक कहीं

पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

पथ में कांटे तो होंगे ही।
दुर्बादल सरिता सर होंगे।
सुंदर गिरि वन वापी होंगे।
सुंदरता की मृणतृष्णा में।
पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

जब कठिन कर्म पगडंडी पर।
राही का मन उन्मुख होगा।
जब सपने सब मिट जाएंगे।
कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा।
तब अपनी प्रथम विफलता में।
पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

अपने भी विमुख पराए बन।
आंखों के आगे आएंगे।
पग पग पर घोर निराशा के।
काले बादल छा जाएंगे।
तब अपने एकाकीपन में।
पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

रण भेरी सुन कर विदा विदा।
जब सैनिक पुलक रहे होंगे।
हाथों में कुमकुम थाल लिये।
कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे।
कर्तव्य प्रेम की उलझन में।
पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

कुछ मस्तक काम पड़े होंगे।
जब महाकाल की माला में।
मां मांग रही होगी आहूति।
जब स्वतंत्रता की ज्वाला में।
पल भर भी पड़ असमंजस में।
पथ भूल न जाना पथिक कहीं।

शिव मंगल सुमन

1857 मुक्ति संग्राम में बड़वानी क्षेत्र में मोर्चा थामा सीताराम कंवर और रघुनाथसिंह भिलाला ने

सीताराम कंवर और रघुनाथसिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के नायक थे। उन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बड़वानी क्षेत्र में आवाज उठाई। शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए प्राणों का उत्सर्ग किया। 1857 की क्रांति के समय बड़वानी रियासत में आरंभ में खाज्या नायक और भीमा नायक ने मोर्चा लिया। अंग्रेजों द्वारा इन भील नायकों के दमन के बाद भिलाले क्रांति की ओर बढ़े। कमान संभाली सीताराम कंवर तथा रघुनाथसिंह मण्डलोई भिलाला ने। होल्कर दरबार के सवारों, सिपाहियों आदि को क्रांति के लिए प्रेरित किया साथ ही भील-भिलाला का संगठित दल बनाया।

सीताराम कंवर और रघुनाथसिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के नायक थे। उन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बड़वानी क्षेत्र में आवाज उठाई। शोषण के खिलाफ मोर्चा लिया और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए प्राणों का उत्सर्ग किया।

भील बाहुल्य क्षेत्र निमाड़ में भिलाला जनजाति के लोग भी रहते हैं। ये भिलाले अधिकतर झाबुआ और बड़वानी में है। 1857 की क्रांति के समय बड़वानी रियासत में आरंभ में खाज्या नायक और भीमा नायक ने मोर्चा लिया। अंग्रेजों द्वारा इन भील नायकों के दमन के बाद भिलाले क्रांति की ओर बढ़े। कमान संभाली सीताराम कंवर तथा रघुनाथसिंह मण्डलोई भिलाला ने। होल्कर दरबार के सवारों, सिपाहियों आदि को क्रांति के लिए प्रेरित किया साथ ही भील-भिलाला का संगठित दल बनाया। दल के प्रमुख भिलाला रघुनाथसिंह मण्डलोई बरुद के निवासी थे। जल्द ही दो-तीन हजार क्रांतिकारियों का दल बन गया। 30 सितम्बर 1858 को क्रांतिकारियों ने बालसमुन्द चौकी पर अधिकार किया तथा जामुनी चौकी को लूटकर जला दिया। दल प्रमुख सीताराम

को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने पांच सौ रुपये के ईनाम की घोषणा की। अकबरपुर क्षेत्र में भी सीताराम ने क्रांति की। क्रांतिकारियों ने पहाड़ी से नीचे आकर दो चौकियों तथा डाकघर पर कब्जा किया तथा डाक के घोड़ों को छीन लिया।

8 अक्टूबर 1858 को सीताराम और उनके साथी बरुद गांव की ओर बढ़े। ब्रिटिश फोर्स 8 अक्टूबर को बड़वानी की ओर गई क्योंकि अनुमान यह था कि

सीताराम का दल बरुद के बाद यहीं से गुजरेगा। यहां होलकर रियासत का सेनाधिकारी बक्शी खुमान सिंह भी होल्कर सेना को लेकर मेजर कीटिंग के साथ था। फोर्स को देखकर क्रांतिकारियों ने चले जाना उचित समझा लेकिन दो भिलाला पकड़े गए। जोर-जबरदस्ती कर उनसे मालूम किया कि रघुनाथसिंह मण्डलोई बीजागढ़ के किले में हैं। अनाज तथा पीतल के बर्तन से लदी बैलगाड़ियों को क्रांतिकारियों के ठहरने के स्थान पर ले जाया जा रहा था। बैलगाड़ियों के पहियों के

निशान के आधार पर ब्रिटिश फोर्स आगे बढ़ती गई।

ब्रिटिश फोर्स का सीताराम के दल से बंड नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस मुठभेड़ में क्रांतिकारियों की हार हुई उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, वे जंगल की ओर बढ़ गए। 20 क्रांतिकारी मारे गये जिनमें सीताराम तथा हवालदार ज्वाला भी थे। सीताराम कंवर का कटा सिर कैम्प में लाया गया, उसकी पहचान कर ली गई। सीताराम के 78 साथी पकड़ लिये गये जिनमें पुट्टासिंह आत्मज हरीसिंह, चांद खां आत्मज छोटे खां भी थे। सभी क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई।

भील-भिलाला समाज की एक विशेषता थी। उनके एक नायक के शहीद होने पर दूसरा बिना रुके मोर्चा संभाल लेता था। यही वजह है कि वनांचल से उठी आवाज कभी नहीं रुकी। सीताराम कंवर के शहीद होते ही अक्टूबर 1858 के आसपास टांडा बरुद के रघुनाथसिंह मण्डलोई भिलाला ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं। इस पर इन्दौर दरबार ने रघुनाथ सिंह मण्डलोई का क्षेत्र बलवंत सिंह मण्डलोई के नाम कर दिया और हिदायत दी कि वह होल्कर सरकार के आदेशानुसार रघुनाथ सिंह और उसके सहयोगियों को पकड़ने का प्रयास करें और अपने क्षेत्र में शान्ति स्थापित करें। यहाँ तक कि बरूद के वहीवटदार को पकड़कर अपने साथ ले गए। रघुनाथसिंह मण्डलोई भिलाला, मण्डलोईयों के पटेल थे। भिलाला और मण्डलोई जाति के सभी लोगों को बता दिया गया, कि जो भी व्यक्ति रघुनाथसिंह मण्डलोई का साथ नहीं देगा वह बिरादरी से निकाल दिया जावेगा। अंग्रेजों ने अनेक योजनाएँ बनाईं पर वे रघुनाथसिंह मण्डलोई को पकड़ न सके।

रघुनाथसिंह मण्डलोई अपने अभियान के बाद अक्सर बीजागढ़ में ठहरते थे। उन्हें पकड़ने के लिये मेजर कीटिंग बीजागढ़ किले पर धावा बोलने हेतु एक फोर्स लेकर बीजागढ़ की ओर बढ़ा। बड़वानी में 8 अक्टूबर की शाम को होल्कर राज्य की फोर्स भी कीटिंग से आ मिली। मेजर कीटिंग ने बीजागढ़ किले में रघुनाथ सिंह मण्डलोई तथा अन्य एकत्रित क्रांतिकारियों के पास संदेश भेजा कि वे बातचीत के लिये आये। इस पर रघुनाथसिंह मण्डलोई कीटिंग के पास आये तथा शस्त्र रखने एवं अपने-अपने क्षेत्र में जाने देने की मांग की। लेकिन मेजर कीटिंग ने धोखे से युवा रघुनाथसिंह मण्डलोई को बन्दी बना लिया। बक्शी खुमान सिंह की मौजूदगी में रघुनाथसिंह मण्डलोई के साथ तय हुआ कि रघुनाथसिंह को आजीवन कारावास की सजा के लिये अन्यत्र न भेजा जावे और न ही उसके पैरों में बेड़ियां डाली जावें।

अंततः रघुनाथसिंह को बंदी बनाकर बख्शी खुमान सिंह को सौंप दिया गया। बख्शी ने उन्हें खरगोन भेज दिया। मण्डलोई की प्रतिष्ठा देखते हुए होलकर दरबार ने यह निर्देश दिया गया कि उन्हें जेल में न रखते हुए किसी अच्छे स्थान पर रखा जावे। रघुनाथसिंह मण्डलोई भिलाला के शहादत की जानकारी अज्ञात है।

Gadia Lohars: Still on the move, diminishing returns and no place to call home

Pramod Indaliya

"What savings? We just live from day to day," says Chandra Lohar (50), when asked about how much he has saved for the rainy day. Exasperation is writ large on his face. Chandra is from a nomadic community called Gadia Lohar. Chandra is camping at the border of a village in Rajasthan.

In the official records of the Rajasthan government, they are known as "Gadia Lohar". They are itinerant ironsmiths and that is the source of their livelihood.

It is December and their temporary abode adjoins a three-way road junction, a short distance away from Saahba village in the Taragaon block of Rajasthan's Churu district. Biting cold and the unending noise of vehicles passing by make living there a difficult proposition. But this is nothing new for them.

A family is seated around a bonfire. The bonfire doubles up as a stove for cooking food and a place to sit around and gossip. Arranging cow-dung cakes for the fire is a challenge for the Gadia women. "When we go into the

villages to sell iron implements, we collect cow dung cakes from the womenfolk. That's how this fire is lit in the evening," says Maina Devi, as she cooks rotis on the fire. Clearly, they get nothing easily. Maina also reveals the division of work between men and women of the community. Men fashion iron implements and women go from door to door in the villages vending them.

Tracing the history of the Lohar community adopting a nomadic life, Narsi says, "When Maharana Pratap was forced to flee Chittorgarh after facing defeat at the hands of Akbar, our ancestors accompanied him. They upturned their cots, and took a vow that they would not return to their villages till the Maharana got his kingdom back. The cots are still upturned." But even as he underscores the self-respecting nature of his community, present-day concerns overwhelm him. "There are no kings and no kingdoms now. The country became independent long ago. But I don't know why we still continue living the same way?" Narsi, who, at just 26, is the father of two children, is clearly worried about the future.

Narsi is not alone. Almost all nomadic communities have similar concerns. For the 15-16 families in this camp, living under the open sky is less about freedom and more about being forced to brave the elements. They carry tarpaulin sheets in their bullock carts to protect themselves from the heat, rain and cold. Chandra is worried because his old, worn-out tarpaulin is no longer of any use. About 15-20 days ago, he got a fever. Without any knowledge of government health schemes and no Ayushman Card or health insurance, he went from hospital to hospital seeking treatment. The fever left him but not before he

had spent a couple of thousands. “Not only are all my savings gone but I am also under debt,” he says, with palpable sadness. Bitter cold nights are round the corner, the tarpaulin is torn and there is no money.

“Whom do we borrow money from? All of us are in the same boat,” says Maina, 55. While the middle class is worried about tax slabs and interest rates, the marginalized have no one to give loans. Ours is indeed a nation of contradictions.

Their living conditions are the source of the many health problems for the Gadia Lohars. They are forced to defecate in the open as public toilets are either not there or are far away. This is especially difficult for women. For drinking water, they depend on the villages they are camping at. For want of potable water, digestive disorders and water-borne diseases are common among the children as well as the adults. Pregnant women can neither get regular health check-ups done nor get immunization. And then, they have to be constantly on the move.” In villages, mother and the newborn don't leave their homes for five weeks after delivery. But we can't afford it. Even if the child is ten days old and it's time to move, we have to do so,” Maina says. Maternal health programmes of the state and the central governments don't exist for the women of this community, although they are much-needed.

They carry their homes on bullock carts cots, equipment and minimal kitchenware. So, what is their permanent address? I asked a young man to show his Aadhar Card. It carried the name of a village in Haryana as his address. “We don't have any house or land in this village. We just live there from May to September,” he explains. Narsi explains, “Yes, we are listed as voters in that village. During elections, candidates do contact us. But we don't get the benefit of any government scheme.” These families spend five-six months every year in that village but they don't own any land or house there. As such, their “permanent address” is just notional. Their voter IDs were issued some years ago. Though

Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls is yet to begin in Haryana, when it does, their franchise will be at risk.

Children at the camp have smartphones but not slates. When asked about the education of children, Dhoili (25) says, "We are constantly on the move. How can the children go to school? They do attend classes when we stay for extended periods at a particular village but not the year round." In this age, when formal education is of crucial importance, these children being out of the schools makes future just gloomier. Smartphones may entertain them for a while but a life overflowing with challenges awaits them, and it will be next to impossible for them to navigate through them without formal education.

The market for the products of Gadia Lohars is shrinking. Mechanization of farming has caused the demand for their hand-made implements to plummet. Savage price rise is only adding to their problems. Obviously, they need to settle down in one place. "Many of our people have put back their upturned cots the right way up. There are some like us who are yet to do it," says Narsi, explaining that in the jargon of the nomads of the area, putting the cot back on its legs means to settle down at a place permanently. "We do want to settle down. But for that, the government needs to help us. The sarpanch had got a form filled out about five months ago but there has been no news since then," Narsi says. Lack of education and knowledge about government schemes, coupled with excessive digitization of official processes and procedures, has made it almost impossible for Gadia Lohars to access public welfare programmes. Local politics and lack of a permanent abode are additional hurdles.

An interaction with the Gadia Lohars camping at this site makes it amply clear that despite being the citizens of a public welfare state, nothing has been or is being done for their welfare. In 1955, Jawaharlal Nehru had led 4,500 Gadia Lohars in circling the Chittorgarh town four times as a symbolic fulfillment of their vow. Some Gadia Lohars were settled there. But there was no follow-up in the form of long-term awareness campaigns or programmes. Ashok Gehlot-led Rajasthan government launched "Maharana Pratap Sthayi Niwas Yojana" for permanent settlement of Gadia Lohars. But an indifferent bureaucracy ensured its burial. The scheme involving an assistance of Rs 10,000 to them for buying raw material was never implemented.

The camps of the Gadia Lohars might be getting a 5G network but they are losing the battle for livelihood and identity. A government that has been harping on the Haldi Ghati battle between Maharana Pratap and Man Singh should take care of the progeny of the Maharana's self-respecting supporters. The Centre should seriously consider launching a campaign for permanent settlement of Gadia Lohars and other nomadic communities. Only permanent settlement can resolve the challenges facing these communities related to education, health, drinking water and identity.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति 2025-30

प्रमुख आकर्षण

- नवाचार प्रोत्साहन के लिए सशक्त, समावेशी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण
- हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित इनक्यूबेशन नेटवर्क का विकास
- वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य
- वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, बाजार संपर्क, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा समर्थन सुविधाओं का विकास
- ₹100 करोड़ के छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड, ₹50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फंड
- सीड फंड सहायता (₹10 लाख तक)
- ब्याज अनुदान, किराया अनुदान, पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान
- रोजगार सृजन सब्सिडी सहित कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों का प्रावधान
- महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष प्रोत्साहन
- पब्लिक वेलफेयर एवं सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष प्रोत्साहन

नए विचार
नई ऊर्जा
नया विश्वास

अब कल्पनाएं होंगी साकार

RO. No. 13628/3

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर

छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

RO. No. 13628/3